समृद्धि हेतु सुरक्षा

fun’kd e.My

Jh d- gfjdekj
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

डॉ. ए. जे. वारा प्रसाद, आई. ए. एस

Jh v:.k vxoky

Jh vkj-vkj- ’kek
निदेशक (विपणन)

Jh oh- l[kj
निदेशक (वित्त)

egk icU/kd

Jh th- ukFk, महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
Jh ,u- jkeefr, महा प्रबन्धक (विपणन)
Jh ,e- d- lkelUnju, महा प्रबन्धक, रसायनी यूनिट
Jh d- Mh- foUlUV Mh iky, प्रभारी अधिकारी, उद्योगमंडल यूनिट
Jh fot; vkoV, प्रभारी अधिकारी, बठिंडा यूनिट

dEiuh lfpo

Jh :iUæ /kheku

iathÑr dk;ky;

द्वितीय मंजिल, कोर–6, स्कोप कॉम्पलैक्स,
7, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003

y[kk ijh{kd

elltl ,l,l,vkj ,.M ,lkfl,V~l, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली
elltl t;l l?kjktdk एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, मुम्बई
elltl tklQ एण्ड नायर, सनदी लेखापाल, कोच्ची
elltl ih- c/kkik/;k; एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, कोलकाता

cdl

बैंक ऑफ बड़ौदा

v/;{k dk Hkk"k.k

fiz; lTtu]

एचआईएल के निदेशक बोर्ड और कर्मचारियों की ओर से, आपकी कंपनी की 59वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है । इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे साथ होने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं ।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस पर सीएजी की टिप्पणी पहले ही परिचालित की जा चुकी है और आपकी सहमति से मैं मान लेता हूं कि आपके द्वारा इन्हें पढ़ लिया गया है । मैं गर्व के साथ यह कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2012–13 के लिए सीएजी ने शून्य टिप्पणी दी है ।

पिछली वार्षिक आम बैठकों के संबोधन में मैंने कंपनी द्वारा दो खण्डों यथा लोक स्वास्थ्य और फसल संरक्षण को चलाकर समाज के प्रति किए जाने वाले योगदानों का उल्लेख किया था । निःसंदेह देश के लिए कृषि रसायन उपयोग बहुत उपयोगी है । भारत को अगले 30 वर्षों के लिए अपनी जनता के भरण पोषण के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा करने होंगे । इतना अधिक उत्पादन करने के लिए न केवल कृषि की पैदावार बढ़ानी होगी बल्कि कीटों के कारण कुल पैदावार के लगभग 20–40ः तक होने वाली फसल क्षति को भी कम करना होगा । यह उपयुक्त कृषि पद्धतियों, जैसे कि रसायननिक कीटनाशी नियंत्रण, उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग आदि को अपना कर ही किया जा सकता है ।

बहरहाल, कृषि रसायन उपयोग के इतने अधिक उपयोगी होने के बावजूद जनता में और दुर्भाग्यवश नीति निर्माताओं में इसके प्रति कोई सकारात्मक धारणा नहीं है । कड़ी नियामक प्रक्रिया के बावजूद, यह सोच बनी हुई है कि आनुवांशिक कीटनाशियों का अन्धाधुंध प्रयोग किया जा रहा है और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसका खतरनाक असर हो रहा है । यह इस तथ्य के बावजूद है कि उपयोग के लिए तथा प्रति एकड़ खपत के लिए देश में दर्ज अणुओं की संख्या के मामले में भारत अभी भी बहुत निम्न अवस्था पर है ।

आपकी कंपनी ने, नए अणुओं के लिए बाजार की मांग को देखते हुए, नए उत्पादों के निर्माण यूनिट लगाने की पहल की है । रसायनी में बुफ्रोफेजिन संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन अभी आरम्भ किया है । चालू वर्ष के दौरान, रसायनी में क्लोरोफाइरोफोस, इमिडाक्लोरोप्रिड, एसिटामिप्रिड, ट्रिजोफॉस आदि जैसे उत्पादों का निर्माण करने के लिए बहु–उत्पाद निर्माण प्रयोग के आधार पर उत्पादन शुरू होने की आशा है । आपकी कंपनी एण्डोसल्फॉन संयंत्र में एक अन्य अणु के निर्माण पर भी विचार कर रही है जो कि इस समय बंद पड़ा है । मैंकोजेब विस्तार परियोजना पर भी काम चल रहा है। मौजूदा निर्माण यूनिटों में जिन नए उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है, ऐसे उत्पादों के बारे में अध्ययन किए जा रहे हैं ।

सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल फार्मुलेशन के निमा्रण की प्रतिबद्धता के अनुरूप आपकी कंपनी निलंबन सांद्रण (सस्पेंशन कसिंट्रेट) फार्मुलेशनों के निर्माण के लिए एक नया यूनिट लगाने में जुटी हुई है । यह भी पता लगाया जा रहा है कि संपुटित निलंबन और जल प्रकीर्णी अणु जैसे अन्य नए फार्मुलेशन आर्थिक रूप से कितने कारगर होंगे ।

आपकी कंपनी, अपने मुख्य उत्पाद डीडीटी की क्षमता आश्वस्त होने के बावजूद ,इसके विकल्पों के विकास पर भी विचार कर रही है । आपकी कंपनी देश की प्रमुख केमिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ गई है और इससे संबंधित कार्य की प्रगति पर नियमित रूप से नजर रख रही है । कंपनी कीटनाशी उपचारित नेट प्रौद्योगिकी के विकास की उन्नत अवस्था पर है, जिसे इस समय वैकल्पिक वेक्टर कंट्रोल टूल के रूप में डब्ल्यू एच ओ द्वारा प्रवर्तित किया जा रहा है ।

कृषि रसायनों के निर्माण और विपणन पर विशेष बल दने के साथ–साथ आपकी कंपनी, ग्रीन कैमिस्ट्री के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है । अवशिष्ट अम्ल (वस्ट एसिड) से सर्फेक्टेंट के विकास के लिए प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण चल रहे हैं, जिससे सामाजिक रूप से उत्तरदायी रसायन कंपनी के रूप में हमारी प्रतिबद्धता नवीकृत हो जाएगी । जैसाकि 58वीं वार्षिक आम सभा के अवसर पर, अध्यक्ष के भाषण में चर्चा की गई थी, आपकी कंपनी ने विविध बीजों का उत्पादन और विपणन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे मौजूदा कृषि रसायन कार्यों और बीज व्यापार के बीच परस्पर क्रिया काफी अधिक रहती है । आपकी कंपनी ने पहले वर्ष में लगभग 60,000 क्विंटल बीज उत्पादन किया और बीज के कारोबारसे 16.82 करोड़ रूपये की टर्न ओवर प्राप्त की । एच आई एल ने कृषि विभाग के साथ मिलकर कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं एफ एस एम, एन एच एम, टी एम ओ पी आदि को लागू किया । आई. सी. ए. आर. ने भी आपकी कंपनी को मूंगफली उत्पादन एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान की है, जोकि आई.सी.ए.आर. द्वारा चलाया गया एक प्रतिष्ठित बीज उत्पादन कार्यक्रम है । आपकी कंपनी मक्का और धान के हाइब्रिड बीज उत्पादन में मुख्य संचालक के रूप में उभर कर आई है । आपकी कंपनी ने विश्व के सर्वोत्कृष्ट देशों तक पहुँच बनाने के लिए ए वी आर डी सी, द वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर, ताइवान के साथ सामूहिक

अनुसंधान कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस किस्मों का भारत की विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं में परीक्षण और जांच की जाएगी और सर्वाधिक उपयुक्त पाई गई किस्मों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा ।

कंपनी ने रणनीतिक गठबंधन करके ओर सह विपणन व्यवस्थाएं करके अपनी पहुँच का विस्तार कर लिया है ताकि हमारे उत्पाद देश के दूरदराज इलाकों के किसानों को भी हमेशा मिल सकें । विभिन्न छोटे बड़े विक्रेताओं और बड़े–बड़े बहुराष्ट्रीय समूहों, जैसे विभिन्न संचालकों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए एच आई एल विभिन्न मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है और भविष्य में भी विकास करती रहेगी । मुझे यह बाताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी की टर्न ओवर वर्ष 2012–13 में 301.11 करोड़ रूपये रही है ,जो कि अब तक की सर्वाधिक टर्न ओवर है, जबकि पिछले वर्ष 279.82 करोड़ रू0 की टर्न ओवर थी। मई 2011 में अपने एक मुख्य उत्पाद एण्डोसल्फॉन के उत्पादन और सप्लाई पर बैन लगने के कारण हुई क्षति की भी कंपनी ने काफी हद तक भरपाई कर ली है । कर के बाद लाभ 2.92 करोड़ रू0 रहा । कंपनी की निवल संपति पिछले वर्ष की 86.86 करोड़ रू0 से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 89.92 करोड़ रू0 हो गयी । संचित हानि घटकर 1.38 करोड़ रू0 हो गई ।

इस वर्ष के दौरान कंपनी के औद्योगिक संबंध भी सौहार्द पूर्ण रहे । आपकी कंपनी ने अपनी एच आर नीतियों की समीक्षा करने की एक बड़ी पहल की है । कंपनी ने बोर्ड स्तर के तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर संघीवाद पर्यवेक्षकों के वेतनमान में संशोधन किया जो कि 1–1–2007 से प्रभावी है ।

कंपनी ने भारत सरकार के अनुमोदन से फरवरी, 2013 से बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है ।

कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एच आई एल और कर्मचारी यूनियन के बीच हुए समझौते के अनुसार परिवार फ्लोटर आधार पर कंपनी ने नए वेतनमान के आरम्भ होने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद भी चिकित्सा सुविधाएं देना शुरू कर दिया है। कंपनी ने कंपनी की सेवाओं से निवृत्ति के बाद कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए'' एच आई एल कर्मचारी पोस्ट सेवा निवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना'' तैयार की है ।

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने रसायन एवं पेट्रो ररसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अन्तर्गत क्षेत्र ''क'' के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है । राजभाषा शील्ड माननीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)श्री श्रीकान्त जेना जी के कर कमलों से भुवनेश्वर में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान प्राप्त की गई ।

आपकी कंपनी के उद्योगमण्डल यूनिट को 5 जून को केरलराज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डद्वारा वर्ष 2012 में प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में किए गए सार्थक एवं सतत प्रयासों के प्रशंसनीय प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया ।

आपकी कंपनी ने सभी मुख्य व्यवसाय कार्यों को कवर करते हुए सैप–ईआरपी सिस्टम लागू किया है। लेखे अब सैप–ईआरपी सिस्टम के अंतर्गत रखे जा रहे हैं । संयंत्र रख–रखाव, माल प्रबंधन, बिक्री एवं वितरण, गुणवत्ता प्रबंधन, उत्पादन योजना मॉडयूल्स भी लागू हैं ।

कारपोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में आपकी कंपनी सभी शेयर धारकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तम गवर्नेस पद्धतियों के दिशा निर्देश, विनियम अपना रही है। निदेशक रिपोर्ट में कारपोरेट गवर्नेंस एवं प्रबंधन चर्चा पर विस्तृत रिपोर्ट तथा विश्लेषण रिपोर्ट अलग–अलग प्रकाशित की गई हैं ।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) भावना एच आई एल की जड़ों में समायी हुई है। आपकी कंपनी ने एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में समाज के सुविधा वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई कार्य किये और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने वाली विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक पहलों को समर्थन एवं सहायता देने की पेशकश की ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें अपना भरपूर हार्दिक और सतत सहयोग दिया । मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कंपनी के बैंकरों, लेखा परीक्षकों का भी आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि वे कंपनी का सुचारू और सफल प्रचालन सुनिश्चित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे ।

मैं बोर्ड के अपने प्रतिष्ठित सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ तथा सराहना करता हूँ और एच आई एल के सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और निष्ठा के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इन्हीं प्रतिबद्ध प्रयासों के साथ आपकी कंपनी भविष्य में अपना निष्पादन बढ़ाने में समर्थ होगी।

आप सभी का धन्यवाद ।

के. हरिकुमार
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

नई दिल्लीः
27–09–2013

funs'kdks dh fjiksVZ

lnL; x.k]

Inl; x.k]

आपके निदेशक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों सहित कंपनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर 59वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं ।

1- foÙkh; fu"iknu%

कंपनी ने 301.11 करोड़ रूपये (गत वर्ष 279.82 करोड़ रूपये) की कुल बिक्री दर्ज की है तथा मूल्यह्रास तथा ब्याज के प्रावधान से पूर्व 12.17 करोड़ रू0 सकल लाभ (गत वर्ष 8.99 करोड़ रू0 सकल लाभ) दर्ज किया है । वर्ष के दौरान कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एण्डोसल्फॉन के उत्पादन के निलंबन के कारण होने वाले नुकसान से उबरने के लिए एक हद तक सफलता प्राप्त की है । कंपनी ने बीज व्यापार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है, जिसने कंपनी की टर्न ओवर में 16.82 करोड़ का योगदान किया है । मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर के प्रावधान करने के पश्चात् निवल लाभ 2.92 करोड़ रू0 (गत वर्ष निवल लाभ 1.60 करोड़ रू0) है । चालू वर्ष के वित्तीय परिणाम का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(रु0 करोड़ में)

fooj.k	2012-13	2011-12
सकल लाभ (मूल्यह्रास ब्याज,		
कर से पूर्व लाभ)	**12.17**	8.99
घटाइएः मूल्यह्रास	**3.67**	4.09
ब्याज	**5.45**	2.09
कर से पूर्व लाभ	**3.05**	2.81
आयकर	**0.13**	1.21
वर्ष के लिए निवल लाभ	**2.92**	1.60
जोडिएः हानि अग्रेनीत	**(-)4.30**	(-) 5.90
लाभ/हानि अग्रेनीत	**(-)1.38**	(-)4.30

कंपनी का निवल मूल्य गत वर्ष के 86.86 करोड़ रू0 की तुलना में बढ़कर 89.92 करोड़ रू0 हो गया है ।

2- mRiknu fu"iknu

चालू वर्ष के दौरान गत वर्ष की 16363 मी0ट0/कि0ली0 की तुलना में 15482 मी0ट0/कि0ली0 कुल उत्पादन हुआ । उपांतिक कमी मुख्यतः डीडीटी के आर्डर में कमी के कारण है ।

3- fcØh fu"iknu

कंपनी ने उत्पाद कर सहित गत वर्ष की 279.82 करोड़ रू0 की तुलना में 301.11 करोड़ रू. की बिक्री की ।

4- fu;kZr

कंपनी ने गत वर्ष के 21.18 करोड़ रू0 के निर्यात की तुलना में 20.17 करोड़ रू0 का निर्यात टर्न ओवर प्राप्त किया ।

5- cht iHkkx

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ में बीज उत्पादन किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल बीज उत्पादन 60,000 कुन्तल है, जबकि गत वर्ष यह उत्पादन 1525 कुन्तल था। आपकी कंपनी ने प्राथमिक आधार पर प्रजनक बीज प्राप्त करने के लिए जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, (जेएनकेकेवी), जबलपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), पूसा, नई दिल्ली तथा विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा (वीपीकेएएस), उत्तराखण्ड की व्यापर योजना इकाई की सदस्यता ग्रहण भी की है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बीज व्यापार की कुल बिक्री 16.82 करोड़ रू0 है ।

6- vuqla/kku ,oa fodkl

कंपनी ने कीटनाशकों के विश्लेषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ाया है तथा उत्पादन की लागत को कम करने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित रूप से इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को कार्यान्वित किया। नियमित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के फलस्वरूप, कंपनी यूनिट से संबंधित समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया में तथा उच्च लागत के स्थान पर उचित कम लागत वाले विकल्पों को लाने में समर्थ हुई है ।

अनुसंधान एवं विकास प्रभाग ने कंपनी के प्रदूषण को कम करने के लिए अपने व्यर्थ एसिड का उपयोग करके सरफेक्टेंट के निर्माण के लिए तकनीक विकसित की है । अनुसंधान एवं विकास ने भूमि की उर्वरता में सुधार करने के लिए भूमि संशोधन विकसित किया

है । इसके परिणाम उत्साह जनक रहे हैं तथा भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल के सहयोग से आगे के परीक्षण शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ।

7- ,e vk ;w Js.kh fu/kkj.k

आपकी कंपनी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय , भारत सरकार के बीच वर्ष 2013–14 के लिए समझौते का ज्ञापन दिनांक 22 मार्च, 2013 को हस्ताक्षर किया गया ।

8- iqjLdkj@ekU;rk

वर्ष के दौरान कंपनी ने रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन ''क'' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में से राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है । श्री के. हरिकुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय को भुवनेश्वर में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रसायन और उर्वरक मंत्री श्री श्रीकान्त जैना के कर कमलों से राजभाषा शील्ड प्रदान की गई ।

आपकी कंपनी के उद्योगमण्डल यूनिट को वर्ष 2012 में प्रदूषण नियंत्रण में पर्याप्त और निरन्तर प्रयास के लिए विश्वपर्यावरण दिवस पर केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रशंसनीय प्रमाण–पत्र से सम्मानित किया गया है ।

9- izek.ku

कंपनी की सभी विनिर्माणन इकाईयॉ आई एस ओ प्रमाणित हैं। रसायनी एवं बठिंडा यूनिट का मूल्यांकन किया गया तथा आई एस ओ 9001:2000, आई एस ओ 14001:2004 तथा आई एस ओ 18001:2007 के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में पंजीकृत हुई । यद्यपि, उद्योगमण्डल यूनिट आई एस ओ 9001:14001 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यूनिट आई एस ओ 18001 प्रमाणन प्राप्त करने की तैयारी में है। निगमित कार्यालय आई एस ओ 9001 प्रमाणित है ।

आपकी कंपनी की रसायनी इकाई आई एम एम (अखण्ड प्रबन्धान प्रणाली) प्रमाणित है ।

10- bZ-vkj-ih

एच.आई.एल. ने अपने सभी यूनिटों तथा क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों में सफलता पूर्वक ई.आर.पी. सिस्टम लागू किया है ई.आर.पी. के तहत शामिल किए गए माड्यूल निम्नानुसार है :–

- संयंत्र रख–रखाव (पीएम)
- सामग्री प्रबंधन (एमएम)
- वित्त (एफआईसीओ)
- बिक्री एवं वितरण (एसडी)
- मानव संसाधन प्रबन्धन (एचआरएम)
- गुणवत्ता प्रबन्धन (क्यूएम)
- उत्पादन योजना (पीपी)

11- dkjiksjsV lkekftd ftEesnkjh ¼lh,lvkj½ urRo

सीएसआर कंपनी की कारपोरेट दार्शनिकता, सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ कारोबार संचालन को एकीकृत करने का एक अभिन्न अंग है । एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी ने समाज के शोषित वर्ग के उत्थान की दिशा में गतिविधियों का सक्रिय रूप से पालन किया तथा लोगों की बड़ी संख्या के जीवन को छूने वाली समस्याओं को दूर करने में विभिन्न समाज तथा समुदाय का समर्थन करने की पहल की है ।

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित व्यवहार्य और धारणीय सीएसआर कार्यकलापों की पहल की गई हैं।

(i) उद्योगमण्डल, केरल में एलूर गॉव और महाराष्ट्र में रसायनी के नजदीक सावला गॉव में स्कूल के बच्चों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें वर्दी इत्यादि देकर शिक्षा को बढ़ावा देना।

(ii) केरल में एलूर ग्राम पंचायत के निवासियों को सुरक्षित पीने का पानी तथा समुदाय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान कराना।

(iii) कंपनी ने महाराष्ट्र में रसायनी के नजदीक सावलां गाम पंचायत को एक पीने के पानी की पाइप लाइन डालने के लिए अंशदान भी दिया है।

12- ekuo lalk/ku fodkl

कंपनी ने उत्पादन का अधिक लक्ष्य प्राप्त करने एवं रचनात्मक कार्य संस्कृति बनाने और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कामिर्क शक्ति का सर्वोत्तम प्रयोग करने तथा विकास के प्रतिबल को जारी रखने के सभी प्रयास किए ।

dkfeZd 'kfä% दिनांक 31.3.2013 को कुल कार्मिक शक्ति 1192 थी, जिसमें 281 कार्यपालक तथा 911 गैर–कार्यपालक थे, जबकि गत वर्ष कार्मिक शक्ति 1284 थी, जिसमें, 279 कार्यपलक तथा 1005 गैर–कार्यपालक थे ।

ckMZ Lrj ,oa ckMZ Lrj ls uhps ds dk;Zikyd ,oa xSj lqij osd{kdksa ds osrueku dk ykxw djuk % कंपनी ने बोर्ड स्तर एवं बोर्ड स्तर से नीचे के गैर पर्यवेक्षकोंके वेतनमान में दिनांक 01–01–2007 से संशोधन लागू किया है ।

lsokfuo`fÙk dh vk;q esa of) % कंपनी के सभी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु भारत सरकार के दिनांक 04–03–2013 के प0 सं0 52/15/2008–सीएच–III द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुसार फरवरी, 2013 से 58 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष कर दी गई है ।

vkS|ksfxd lac/k % रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सामान्य रहे ।

vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tu tkfr@vU; fiNM+k oxZ % वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति जी के निर्देशों के कार्यान्वयन को जारी रखा। 31.03.2013 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल कार्मिकों के सं0 निम्नानुसार है :–

	सं0
अनुसूचित जाति	187
अनुसूचित जनजाति	75
अन्य पिछड़ा वर्ग	394
कुल	**656**

dEiuh }kjk vuqlwfpr tkfr;ksa vkSj vuqlwfpr tutkfr;ksa ds dY;k.k ds fy, fd, x, dk;Z@mBk, x, dne % कंपनी ने अपनी यूनिटों के पड़ौसी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों हेतु कल्याण के उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण एवं स्कूल यूनिफार्म का वितरण तथा स्थानीय निकायों की पीने के पानी की आपूर्ति में जब भी आवश्यकता हो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि की स्थापना करने में सहायता करना।

13- deZpkfj;ksa dk fooj.k

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के साथ पठित कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) नियम, 1975 के अन्तर्गत अपेक्षित निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है ।

14- jktHkk"kk fgUnh dk dk;kZUo;u

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) और उसके अन्तर्गत बनाए गए राजभाषा नियम 1976 के अनुपालन में, कंपनी ने राजभाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत से प्रभावी उपायों को लागू किया है, जिससे हिन्दी के कार्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपकी कम्पनी राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु एवं राजभाषा हिन्दी में हुई प्रगतिकी समीक्षा करने हेतु अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करती है ।

कंपनी की बेवसाइट द्विभाषी है। कंपनी द्वारा विनिर्मित सभी उत्पादों के लीफलैट तथा लेबल न केवल अंग्रेजी और हिन्दी में हैं, बल्कि क्षेत्रीय भाषा में भी हैं।

वर्ष के दौरान 16 कार्यशालाएं आयोजित की गई, उनमें से 4 कार्यशालाएं कार्मिकों को कम्प्यूटर पर यूनिकोड में हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए तथा 12 कार्यशालाएं कार्मिकों को टिप्पण एवं मसौदा लेखन हिन्दी में करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु आयोजित की गई, जिनमें 65 कार्मिकों ने भाग लिया ।

वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय तथा इसके सभी यूनिटों में हिन्दी कार्यशालाओं के अतिरिक्त हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबन्ध, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, वाद–विवाद, हिन्दी हस्तलेखन, हिन्दी अनुवाद, स्लोगन, कविता, प्रश्न मंच, टंकण तथा हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा इन सभी प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त कार्मिकों को कार्यालय में लागू पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नकद तथा वस्तु रूप में पुरस्कार प्रदान किए गए। वार्षिक बिक्री बैठक में सभी विपणन प्रबन्धकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निधारित लक्ष्यों, राजभाषा नियम 1976 एवं अधिनियम 1963 की जानकारी दी गई।

वर्ष के दौरान कोचीन टॉलिक द्वारा उद्योगमण्डल यूनिट को राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान प्रदान किया गया। कंपनी की उद्योगमण्डल यूनिट के एक कार्मिक को केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा 30 कार्मिकों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में नकद पुरस्कार अथवा प्रमाण–पत्र प्राप्त किए हैं। कंपनी की रसायनी यूनिट के एक कार्मिक को नराकास साउथ गोवा द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा यूनिट के 32 कार्मिकों ने हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित प्राज्ञ परीक्षा पास की हैं ।

15- lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005

आपकी कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) लागू किया गया है, कंपनी ने अपेक्षित उपाय किए हैं तथा अधिनियम के तहत आवेदक की मॉग का प्रभावी उत्तर देने के लिए कंपनी की सभी यूनिटों / कार्यालयों में अपील प्राधिकारी / जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए हैं । क्रिया का उद्देश्य संगठन की गतिविधियों में पारदर्शिता लाना है तथा कंपनी ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रचनातन्त्र स्थापित किया है ।

16- mtk lj{k.k] ik|kfxdh lekos'k rFkk fon'kh eæk l vk; rFkk O;;

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के अुनसार तथा अधिसूचना सं0 1029 दिनांक 31.12.88 से संबंधित विवरण क) उर्जा संरक्षण ख) प्रौद्योगिकी समावेश ग) विदेशी मुद्रा से आय और व्यय के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

17- ftEenkjh Lo:i oä0;

कंपनी अधिनियम की धारा 217 (2 ए ए)के अनुसरण में आपके निदेशक पुष्टि करते हैं किः–

i) वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा कंपनी द्वारा उनमें से कोई सामग्री बाहर नहीं भेजी गई।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका समनुरूप प्रयोग किया है और जो उचित है उनके बारे में निर्णय एवं आकंलन किया है ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी की लाभ एवं हानि के बारे में उचित एवं सही दशा प्रस्तुत कर सके।

iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्ति को सुरक्षित रखने हेतु कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने के लिए तथा धोखेबाजी तथा अन्य विनियमितताओं को रोकने और पता लगाने हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती हैं ।

iv) निदेशकों ने ''चल प्रतिष्ठान'' पर आधारित वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

v) कंपनी पर लागू सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली की स्थापना की गई है।

18- dkjikjV lpkyu dk vuikyu

कंपनी एक सरकारी कम्पनी है, सम्पूर्ण शेयर होल्डिंग सरकार के पास हैं। एच आई एल कारपोरेट संचालन के मानकों को उत्तम बनाने हेतु लगातार प्रयास कर रही है । कारपोरेट संचालन पर रिपोर्ट अनुबंध–1 पर संलग्न है।

19- ckM lnL;k vkj ofj"B icU/ku d fy, vkpkj lfgrk %

कारपोरेट संचालन कोड के प्रावधान के अनुसार, बोर्ड सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार तैयार की गई है तथा बोर्ड ने इसे लागू कर दिया है।

20- ckM d fun'kd

आपकी कंपनी में निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्तमान नियुक्ति की तारीख
1	श्री के. हरिकुमार	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	01/10/2010
2	श्री राकेश राज शर्मा	निदेशक (मार्केटिंग)	12/06/2009
3	श्री वी. सेखर	निदेशक (वित्त)	24/06/2010
4	डा0 ए.जे. वारा प्रसाद	सरकार द्वारा नामित निदेशक	14/12/2011
5	श्री अरूण अग्रवाल	सरकार द्वारा नामित निदेशक	25/04/2012

21- y[kk ijh{kk lfefr

कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है । 31–03–2013 को लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार हैः–

1. डा0 ए.जे. वारा प्रसाद अध्यक्ष
2. श्री के हरिकुमार, सदस्य
3. श्री अरूण अग्रवाल, सदस्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्री वी.सेखर, निदेशक (वित्त) ने लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लिया। समिति कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है ।

22- lkfof/kd ys[kk ijh{kd %

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए यूनिटों एवं कार्यालयों के संबंध में उनके नाम के आगे लिखी गई निम्नलिखित सनदी लेखाकारों की फर्मों को कंपनी के सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है :–

मैसर्ज एसएसएआर एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली।	बठिंडा यूनिट, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, दिल्ली, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, गुड़गॉव तथा प्रधान कार्यालय तथा समेकित लेखे।
मैसर्ज जयेश संघराजका एण्ड कंपनी, मुम्बई।	रसायनी यूनिट तथा क्षेत्रीय बिकी कार्यालय अकोला तथा अहमदाबाद ।
मैसर्ज जोसेफ एण्ड नायर, कोच्ची, केरल।	उद्योगमण्डल यूनिट तथा क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – हैदराबाद तथा कोयम्बटूर।
मैसर्ज पी. बंधोपाध्याय एण्ड कंपनी, कोलकाता।	क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय कोलकाता।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर निदेशकों के उत्तर की टिप्पणियां /कथन लेखे के साथ अनुबद्ध है ।

23- ykxr&ys[kk&ijh{kk

कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 233 बी के अनुसार निम्नलिखित लेखापालों को वर्ष 2012–13 के लिए लागत–लेखा–परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया हैः–

1. मैसर्ज ए. आर. नारायण एण्ड कंपनी, कोचीन — उद्योगमण्डल यूनिट
2. मैसर्ज बी. एम. शर्मा एण्ड कंपनी पुणे — रसायनी यूनिट
3. मैसर्ज के. सी. कोहली एण्ड कंपनी, दिल्ली — बठिंडा यूनिट

24- izcU/ku ifjppkZ rFkk fo'ys"k.k

प्रबन्धन परिचर्चा तथा विश्लेषण पर रिपोर्ट परिशिष्ट–।। पर है।

25- lgk;d daiuh ¼,l ih lh ,y½

सहायक कंपनी दि सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लिमिटेड दिनांक 2.4.2002 को बंद करने के आदेश हो गए थे। कंपनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के साथ लगे सरकारी परिसमापक को सौंप दी गई थी । चूँकि कंपनी परिसमापण के अधीन है, इसलिए कंपनी के वार्षिक लेखे संलग्न न करने के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, उपरोक्त कंपनी में निवेश की गई सम्पत्ति का विवरण जैसाकि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 212 के अधीन अपेक्षित, कंपनी के वार्षिक लेखे के साथ संलग्न है।

26- vkHkkj

आपके निदेशक भारत सरकार के विशेषतः रसायन और उर्वरक मंत्रालय का उनके मूल्यवान मार्ग दर्शन तथा समर्थन के लिए हार्दिक रूप से आभार प्रकट करते हैं । निदेशक स्वास्थ्य मंत्रालय,कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के लागत लेखा शाखा, राज्य सरकारों तथा कंपनी बैंकरों की उनके निरन्तर सहयोग तथा सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं । वर्ष के दौरान व्यापार सहयोगियों और ग्राहकों द्वारा दिखाए गए निरन्तर संरक्षण एवं विश्वास का निदेशक मंडल आभार प्रकट करते हैं ।

निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक और आन्तरिक लेखा परीक्षकों का उनके लगातार समर्थन एवं सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करते हैं ।

निदेशक कंपनी के सभी कार्मिकों द्वारा किए गए वास्तविक प्रयत्न तथा कड़े परिश्रम के लिए हार्दिक सराहना अभिलेखबद्ध करते हैं तथा अगले वर्षों में कंपनी और अधिक ऊँचाईयॉ छूने के लिए उनकी उत्साह और समर्पण के साथ सेवाओं की कामना करती है ।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

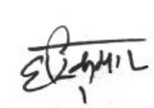

(के0 हरिकुमार)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

dkjikjsV lapkyu ij fjiksVZ

dEiuh dh lapkyu lafgrk ij nk'kZfudrk

कारपोरेट संचालन मुख्यतः लोकाचार है, जो कंपनी के प्रबन्धन को शेयर धारकों के सर्वोत्तम हित में अपने कार्यों का संचालन करने में मार्गदर्शन तथा निर्देश देता है और निष्पक्षता, पारदर्शिता, तथा अखंडता को बढ़ाता है ।

सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) ने कारपोरेट संचालन पर निर्देश जारी किए हैं, जो सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) पर लागू होते हैं, ताकि नैतिक और व्यावसायिक आचरण पर एक प्रभावशाली महत्व के साथ निष्पक्षता, पारदर्शिता, विश्वास, अखंडता, जिम्मेदारी तथा जवाबदेही का उच्चतम मानक प्राप्त कर सके । कारपोरेट संचालन एक मात्र कानूनी अनुपालन नहीं है, बल्कि जीवन का एक रास्ता है, जो कंपनी को प्रेरणाप्रद एवं मजबूत बनाने की वचनबद्धता में मदद करता है ।

कंपनी अच्छी कारपोरेट पद्धति का पालन करती है तथा इसमें सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है ।

funs'kd eaMy

funs'kd eaMy dh lajpuk % एच.आई. एल.के निदेशक मंडल के पॉच सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन कार्यात्मक निदेशक हैं और दो गैरकार्यपालक निदेशक हैं, जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मनोनीत है ।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान एच.आई.एल. के निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक थे :–

कार्यपालक निदेशक :

श्री के. हरिकुमार – अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
श्री आर. आर. शर्मा – निदेशक (विपणन)
श्री वी. सेखर – निदेशक (वित्त)

गैर–कार्यपालक :

डा0 ए. जे. वारा प्रसाद (14–12–2011 से)	संयुक्त सचिव रसायन और उर्वरक मंत्रालय
श्री अरूण अग्रवाल (25–4–2012 से)	निदेशक रसायन और उर्वरक मंत्रालय

ckMZ dh cSBdksa dh la[;k@ckMZ cSBd esa iR;sd funs'kd dh mifLFkfr rFkk o"kZ 2012&13 dk nkSjku vafre okf"kZd vke cSBdA

बैठक की तारीख	बैठक का स्थान	निदेशकों की उपस्थिति
22.06.2012	नई दिल्ली	5 नं0
16.08.2012	नई दिल्ली	5 नं0
22.10.2012	नई दिल्ली	4 नं0
21.12.2012	नई दिल्ली	5 नं0
20.03.2013	नई दिल्ली	5 नं0

क्र.सं. निदेशको के नाम	बैठकों में भाग लिया	28.9.2013 को हुई गत वार्षिक बैठक मे भाग लिया	31.3.2013 तक अन्य कम्पनियों में अन्य डायरैक्टरशिप की संख्या
1. श्री के. हरिकुमार	5 नं0	हाँ	1$
2. डा. ए. जे. वारा प्रसाद	4 नं0	-	1@
3. श्री अरूण अग्रवाल	5 नं0	-	2&
4. श्री आर. आर. शर्मा	5 नं0	हाँ	शून्य
5. श्री वी. सेखर	5 नं0	हाँ	शून्य

$ क्रॉप केयर फैडरेशन ऑफ इण्डिया
@ हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल लिमिटेड
& हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्वन्स लिमिटेड

ys[kk ijh{kk lfefr

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292–ए के प्रावधान के अनुसार, कंपनी में एक लेखा–परीक्षा समिति है, जिसमें निम्नलिखित निदेशक हैं: लेखा–परीक्षा समिति के अधिकार, कार्य एवं कर्तव्य कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार हैं:–

1. डा. ए. जे. वारा प्रसाद, अध्यक्ष
2. के. हरिकुमार, सदस्य
3. श्री अरूण अग्रवाल, सदस्य

वर्ष 2012–13 के दौरान लेखा–परीक्षा समिति की चार बैठकें दिनांक 22–06–2012, 16–08–2012, 21–12–2012 तथा 20–03–2013 को हुई ।

नाम	वर्ष के दौरान आयोजित की गईं बैठकें	बैठकों में उपस्थित हुए
Dr. AJ Vara Prasad	4 नं.	3 नं.
Shri K. Harikumar	4 नं.	4 नं.
Shri Arun Agarwal	4 नं.	4 नं.

ikfjJfed lfefr

निदेशकों को देय पारिश्रमिक एवं भत्ते भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं । इस प्रयोजन के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया है । तथापि, सरकारी उद्यम विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) एक अंशकालिक स्वतन्त्र निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगे, जो कार्यपालक संवर्ग के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनशील वेतन नीति तय करेगी ।

बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात पारिश्रमिक समिति गठित की जाएगी । समिति का उद्देश्य होगा कि ऐसी नीतियॉं बनाएं, जो कार्मिकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करें, संगठन में दक्षता तथा पुरस्कार प्राप्त करने की योग्यता बनाए रखें ।

वर्ष 2012–2013 के लिए कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरणः–

क्र. सं.	नाम	वेतन एवं भत्ते (रु.)	अन्य लाभ (रु.)	कुल (रु.)
1.	श्री के. हरिकुमार	15,90,754/-	12,58,994/-	28,49,748/-
2.	श्री आर.आर. शर्मा	13,63,875/-	5,75,971/-	19,39,846/-
3.	श्री वी. सेखर	11,06,325/-	4,97,050/-	16,03,375/-

'ks;j/kkjdks@fuos'kdksa dh f'kdk;r lfefr

हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है और इसकी पूरी शेयर–पूँजी भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय एवं उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास होती है । अतः, ऐसी कोई भी समिति का गठन अपेक्षित नहीं है ।

okf"kZd vke cSBd

क्र. सं.	वर्ष	स्थान समय	दिनांक एवं क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
1.	2009-10	नई दिल्ली	28.09.2010 (12.00 बजे दोपहर) नहीं
2.	2010-11	नई दिल्ली	28.09.2011 (12.00 बजे दोपहर) नहीं
3.	2011-12	नई दिल्ली	28.09.2012 (12.00 बजे दोपहर) हाँ

izdVhdj.k

निदेशकों का प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई सामग्रीपरक लेन–देन नहीं है, जिससे सामान्य रूप से कम्पनी के हित के साथ भारी मतभेद हो ।

कंपनी द्वारा पूँजी–बाजार से संबंधित किसी मामले के गैर–अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया है क्योंकि, एच. आई.एल. एकगैर–सूचीबद्ध कंपनी है । गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी निर्देशों को कंपनी द्वारा विधिवत् अनुपालन किया गया है ।

eq[kfcjh uhfr

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखा धड़ी या आचार संहिता या नैतिक नीति का उल्लघंन से संबंधित रिपोर्ट के लिए कर्मचारियों के लिए एक तन्त्र की स्थापना की है। कर्मचारी सीधे अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय से मिल सकते हैं। मुखबिरी नीति कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पूर्वोपाय करेगी। सतर्कता विभाग परीक्षणों का संचालन करके निवारक सतर्कता पहलुओं पर बल देता है तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों से संगठन को नियमित रूप से अद्यतन करती है।

Vigilance

HIL being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance. HIL has a Vigilance Department headed by CVO. The Vigilance Department stresses upon preventive vigilance aspects by conducting inspections and routinely updating the organization in the latest guidelines issued by the CVC.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार, प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में समय पर उचित विचार करते हुए विभाग उचित एवं समय पर कार्रवाई करता है ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 29 अक्टूबर, 2012 से 2 नवम्बर, 2012 तक मनाया गया । इस अवधि के दौरान कार्यपालक तथा गैर कार्यपालक कार्मिकों के लिए वाद–विवाद तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान देने के लिए प्रख्यात मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया था, जिसमें सहभागी सतर्कता पर केन्द्र बिन्दु शामिल है ।

Means of communication

Annual financial performance are posted in the Company's website www.hil.gov.in

General shareholders information

The entire paid up share capital of the company is held in the name of President of India and his nominees. AGM details are furnished at above. The Company shares are not listed in any stock exchange.

समृद्धि हेतु सुरक्षा

{kek xk;y ,.M ,lkfl,V~l

28 nhikyh ihreiqjk] ubZ fnYyh & 34

fuxfer 'kklu dk izek.k&i=

सेवामें,

सदस्यगण,

fgUnqLrku bUlsfDVlkbMl fyfeVsM

हमने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों में किए गए उल्लेख के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए fgUnqLrku bUlsfDVlkbMl fyfeVsM के द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होती है । हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के द्वारा अंगीकार किए गए कार्य प्रणाली और उसके अनुपालन तक सीमित थी । यह न तो कंपनी के वित्तीय विवर्णियों की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर विचारों की अभिव्यक्ति है ।

हमारे विचार में और हमारी अधिकतम जानकारी और उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सत्यापित करते हैं कि लोक उद्यम विभाग के उल्लिखित दिशा निर्देशों में किए उल्लेख के अनुसार, निदेशक मंडल में स्वतन्त्र निदेशकों की संख्या से संबंधित निगमित शासन पर निर्देशों के खण्ड 3, 1, 4 को छोड़कर निगमित शासन की शर्तों का कंपनी ने अनुपालन किया है । तथापि, इस संबंध में, कंपनी द्वारा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को अपेक्षित आवेदन द‍ृ पत्र भेज दिया गया है ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

सहायक कंपनी सचिव क्षमा गोयल

(सीओपी नं0 11555)

दिनांक : 30—08—2013

icU/ku ppkZ vkSj fo'ys"k.k

आपकी कंपनी फसल संरक्षण के लिए कृषि रसायनों, रोग जीवाण के नियंत्रण के लिए लोक स्वास्थ्यकारी कीट नाशकों और कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उत्तम गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उत्तम गुणवत्ता के बीजों का निर्माण और आपूर्ति कर रही है।

कृषि रसायन उद्योग में आनुवांशिक अणुओं का व्यापार करने वाले छोटे और मझोले व्यवसायियों से लेकर एकस्वी महंगे अणुओं की पेशकश करने वाली बड़ी–बड़ी राष्ट्रीय कंपनियॉं तक संलग्न है । इस बाजार में 700 से अधिक फार्मुलेशन कार्य कर रहे हैं और इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है । इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपकी कंपनी निरंतर अपनी बिक्री बढ़ाती जा रही है। कंपनी नए अणुओं का निर्माण कर रही है नए उत्पादों के लिए सुविधाएं दे रही है और तेजी से नए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो रही है ताकि तेजी से बदलते समय के साथ तालमेल बिठा सके।

आपकी कंपनी का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का यह दायित्व है कि वह कृषि समुदाय के लिए उपयुक्त कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध करवाए। अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और खराब स्वास्थ्य के कारण फसल क्षति और मजदूरी की क्षति होने से ग्रामीण समृद्धि पर सीधे–सीधे प्रभाव पड़ता है।

कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न उर्वरक कंपनियों के साथ नीति गठबंधन कर रही है । ताकि हमारे उत्पाद देश के दूरदराज स्थानों पर भी किसानों को मिल सके।

पिछले वर्ष कंपनी ने बीज बाजार में प्रवेश किया है वहॉं भी जोरदार स्वागत हुआ है और थोड़े ही समय में एच आई एल ने बढिया किस्म के बीजों के निर्माता के रूप में अपने आपको स्थापित कर लिया है । कंपनी आई. सी. ए. आर. जैसे संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जारी नए साधारण मिश्रित किस्म (पब्लिक हाइब्रिड) के निरंतर संपर्क में रहती है और प्रजनक प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रही है ताकि देश में विभिन्न सरकारी स्थापनाओं में हो रहे बड़े–बड़े अनुसंधानों का लाभ किसानों को मिल सके।

1- [k.Mdkj nf"Vdks.k

¼d½ tuLokLF; [k.M

यद्यपि, रसायनों के इतिहास में डीडीटी एक अत्यधिक हानिकर उत्पाद माना जाता रहा है लेकिन दुनिया ने इसकी क्षमता को पहचाना और अब डीडीटी एक कुशल रोगजीवाणु नियंत्रण उत्पाद बन गया है । एच आई एल डीडीटी का निर्यात भी कर रही है मुख्यतः मलेरिया पीडित अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र को निर्यात कर रही है कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाव्वे, नामिबिया, बोत्सवाना, म्यांमार को डीडीटी का निर्यात किया ।

एच आई एल रोगजीवाणु नाशक पद्धतियों का विकल्प भी खोज रही है और टिकाऊ कीटनाशी नेट (एल.एन.) का भी विकास चल रहा है कंपनी ने डीडीटी का विकल्प प्रचार करने के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान के साथ भी गठबन्धन किया है, जिसका घरों के अन्दर छिड़काव (आई आर एस) के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

आई आर एस और एल एन रोग जीवाणु नियंत्रण के पूरक साधन हैं अतः आने वाले समय में एच आई एल इस श्रेणी में ऊँचाईयों को छूएगा।

कंपनी मैलाथियॉन का भी निर्माण और विपणन करती है जिसका प्रयोग मुख्यतः रोग जीवाणु नियंत्रण के लिए किया जाता है । मैलाथियॉन के यूएल वी फार्मुलेशन का प्रयोग टिड्डी नियंत्रण करने के लिए किया जाता है ।

¼[k½ Qly lqj{k.k

फसल संरक्षण के लिए कीटनाशियों के प्रयोग को मीडिया वाल हमेशा बढ़चढ़ कर गलत बताते रहे हैं । यद्यपि, भारत बहुत कम कीटनाशियों का प्रयोग करता है लेकिन शहरी मीडिया हमेशा ही फलों और सब्जियों में कीटनाशी अवशेष होने की बात कहता रहता है । प्रायः ये आरोप निराधर रिपोर्टों के आधार पर मढ़े जाते हैं। एक अन्य मिथ्या प्रचार किया जाता है कि कीटनाशी अवशेषों के कारण हमारा कृषि निर्यात प्रभावित होता है जबकि यह साबित हो गया है कि निर्यात में 50ः अस्वीकृति फिल्थ और सूक्ष्म जीवी संदूषण के कारण है मात्र 1.9ः अस्वीकृति ही कीटनाशी अवशेष के कारण होती है । कीटनाशी जो कि एक महत्वपूर्ण कृषि इनपुट है, उससे प्राप्त लाभ नकारात्मक प्रचार में दब कर रह जाते हैं । एच आई एल का पिछले साठ से अधिक वर्षों से इस क्षेत्र का अनुभव है और कंपनी यह समझती हे कि किसान से बेहतर कोई नहीं जानता है कि उसके लिए क्या सही है और किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए कीटनाशियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो उनकी जीविका का मुख्य स्रोत हैं ।

कृषि रसायन उद्योग सीधे–सीधे जटिल प्रकृत मॉग और जरूरतों से प्रभावित होती है । कीट हमले प्रायः किसी विशेष

क्षेत्र/फसल पर होती है और तुरन्त प्रतिक्रिया करने की जरूरत होती है इसके लिए बहुत अधिक सामान की जरूरत होती है परिणाम स्वरूप स्टॉक को निकालने के लिए भुगतान अवधि भी अधिक होती है और कभी–कभी थोड़े समय की समापन अवधि वाले उत्पादों की शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद भी उधार जारी रहता है ।

प्रवेश में कम अवरोधों के कारण तथा विक्रेता द्वारा बिक्री बढ़ाए जाने की तकनीकों (पुश सेल) से अक्सर आकर्षित होते रहने वाले ग्राहकों के चलते गुणवत्ता वाले उत्पादों के आनुवंशिक लाभांश कम होते जा रहे हैं ।

एच आई एल समय–समय पर अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विश्लेषण करती रहती है और अणुओं को बढ़ाती रहती है जो उत्पाद किसानों की पसंद के नहीं है उन्हें उत्पादित करना बंद कर देती है कंपनी के पास 40 से अधिक कृषि रसायनों का भण्डार है । 5 तकनीकी ग्रेड के कीटनाशियों के विनिर्माण को एकीकृत करने का काम चल रहा है । कंपनी का नए फार्मूलेशन लाने का भी प्रस्ताव है जो और अधिक प्रयोक्ता मैत्री होगी और कंपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की भरसक कोशिश कर रही है ।

x- cht [k.M

कृषि विभाग, भारत सरकार से बीज उत्पादन के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के बाद एच आई एल ने धान के बीज (हाइब्रिड और खुले पराग सीचत किस्में) गेहूँ, सोयाबीन, सरसों, चना, हाइब्रिड, मक्का वनस्पति के उत्पादन में भी प्रवेश किया है । वर्ष के दौरान आई सी ए आर संस्थानों के अलावा एच आई एल को मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़ गुजरात आई सी ए आर द्वारा मूंगफली के प्रजनक बीज उत्पादन की मान्यता प्रदान की गई है । विभिन्न किस्म की मूंगफली के 700 क्विंटल का लक्ष्य एच आई एल को आई सी ए आर द्वारा आबंटित किया गया ।

कंपनी को इस खण्ड में काफी उन्नति की आशा नजर आ रही है ओर कंपनी का मानना है कि भविष्य में भी इस दिशा में प्रगति होगी ।

2- tkf[ke ,oa leL;k,a

मानसून पर निर्भरता सिंचाई सुविधाओं का अभाव और देश के कई भागों में सूखा पड़ना भी कुछ मुख्य जोखिम कारक है ।

कच्चे तेल के मूल्यों में उतार चढ़ाव, मुख्य इनपुट के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ जाना, कमजोर होता रूपया भी चिंता के विषय हैं।

पर्यावरणविदों द्वारा कृषि रसायनों के बारे में नकारात्मक प्रचार एक चिंता का विषय है और इसके लिए जन समुदाय में चेतना जागृत करने की आवश्यकता है और यह समझने की आवश्यकता है कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि रसायन बहुत उपयोगी है और अंततः इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एंडोसल्फॉन पर प्रतिबन्ध लगाने की याचिका पर अंतिम फैसला होने तक एंडासल्फॉन का उत्पादन और देश में बिक्री रूकी हुई है ।

3- vkarfjd fu;=.k vkSj mldh i;kZIrrk

कंपनी का आंतरिक नियंत्रण तंत्र कंपनी के कारोबार की प्रकृति, उसके आकार और इसके प्रचालनों की जटिलता को देखते हुए पर्याप्त है। इनकी सभी कार्यालयों, फैक्टरियों और मुख्य व्यवसाय क्षेत्र के प्रचालनों की नियंमित रूप से जांच की जाती है। सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा इन्हें प्रमाणित किया जाता है। विशिष्ट लेखा परीक्षा टिप्पणियों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाईयों की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति को दी जाती है।

लेखा परीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की पर्याप्तता और कारगरता की समीक्षा करती है और लेखापरीक्षा दल की सिफारिशों, जिसमें कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और सिस्टम को मजबूत करने संबंधी सिफारिशें भी शामिल हैं, के कार्यान्वियन पर निगरानी रखती है।

आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउंटेंट की व्यवसायिक फर्म को सौंपा गया है। सभी मुख्य निष्कर्षों की रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति को दी जाती है और उनसे चर्चा की जाती है।

4- dk;ZRed fu"iknu ds lac/k esa foÙkh; fu"iknu

कंपनी की बिक्री टर्न ओवर पिछले वर्ष 279.82 करोड़ की तुलना में इस वित्त वर्ष के दौरान 301.10 करोड़ रूपये रही कंपनी को अपने बीज प्रभाग के प्रचालनों से 16.82 करोड़ रूपये प्राप्त हुए।

5- ekuo lalk/ku@vkS|ksfxd lac/k {ks= esa fu;ä 0;fä;ksa dh la[;k lfgr

आपकी कंपनी का मानना है कि मानव पूँजी एक बड़ी संपदा है। कंपनी ने अपने इतिहास में श्रमिकों में असंतोष के कारण एक भी श्रम दिवस व्यर्थ नहीं गवाया। कंपनी को गौरान्वित रखने के लिए कंपनी की हर स्तर पर एक समर्पित टीम है ।

31–3–2013 को कुल 1192 कर्मचारी थे जिसमें 281 कार्यपालक और 911 गैर–कार्यपालक थे ।

यह वर्ष कंपनी के लिए एच आर नीतियों की समीक्षा करने की अहम् पहल करने के कारण भी महत्वपूर्ण रहा । कंपनी ने बोर्ड स्तर के और बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यपालकों और गैर–संघीय पर्यवेक्षक के लिए वेतनमान संशोधन लागू किया जो 1–1–2007 से प्रभावी होगा ।

कंपनी ने भारत सरकार के पत्र सं. 52/15/2008–सीएच–III तारीख 4–3–2013 के अनुमोदन के अनुसार सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु फरवरी, 2013 से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर द है ।

6- i;kZoj.k lqj{kk ,oa lqj{k.k@iknkfxdh; lqj{k.k] uohdj.kh; ÅtkZ fodkl] fons'kh eqæk lqj{k.k A

आपकी कंपनी ने पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के पहले से ही कई उपाय कर लिए हैं जैसे कि उप–उत्पादों का उपयोग और उन्हें पर्यावरण स्थिरता के लिए हरित रसायन विज्ञान की अवधारणा को लागू करके उपयोगी उत्पाद अर्थात सरफेक्टेंट में परिवर्तित करना । कुछ संशोधनों के विकास द्वारा मिट्टी लवणता को कम करने के लिए तथा मिट्टी संवर्धन के लिए अध्ययन किया जा रहा है । निरूपित बहिःस्त्राव पानी का पुनरावर्तन/कमी तथा पुनः उपयोग करके पानी का संरक्षण किया जा रहा है । कंपनी पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए सुरक्षित वातावरण अनुकूल योगों (फार्मुलेशनों) को विकसित कर रही है ।

7- dkjiksjsV lkekftd ftEesnkjh

इस शीर्षक के अन्तर्गत उठाए गए कदमों का विवरण मद सं0 11 में दिया गया है ।

8- lpsrd mik;

जैसाकि, कहा गया है कंपनी के वास्तविक प्रचालन परिणामों पर मानसून की अस्थिरता सहित बाह्य दशाओं का असर पड़ सकता है । कई कारण वास्तविक परिणाम पर प्रभाव डाल सकते हैं, जो प्रबन्धन द्वारा परिकलित भावी प्रदर्शन तथा दृष्टि रोग से अलग हो सकते हैं।

fun’kd fjikVl dk ifjf’k"V

Qkel d

Åtk d lj{k.k d lc/k e fooj.kk d idVhdj.k dk ii=

	fooj.k	;fuV	2012-13	2011-12
d-	fo/kr ,o bu/ku dh [kir			
1	fctyh			
	कुल यूनिट	केडब्ल्यूएच	13551822.00	12931612.00
	कुल राशि	रू.	98509921.30	78548743.00
	दर / यूनिट	रू.	7.27	6.07
2	HkVVh ¼Qui’k½ rsy			
	मात्रा	कि.ली.	2623.78	4991.50
	कुल राशि	रू.	108641129.00	191469442.00
	दर / कि.ली.	रू.	41406.39	38359.12
3	bu/ku rsy ¼,p, lMh½			
	मात्रा	कि.ली.	114.63	128.40
	कुल राशि	रू.	5472519.00	5452330.00
	दर / यूनिट	रू.	47742.39	42462.31
[k-	mRiknu dh ifr ;fuV [kir			
1	MhMhVh rduhdh			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1344.50	1195.00
	भट्टी तेल	लीटर	1218.23	1120.11
2	MhMhVh Qkely’ku			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	953.82	838.66
	भट्टी तेल	लीटर		
3	eSykfFk;ku rduhdh			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1610.00	1248.00
	भट्टी तेल	लीटर	175.37	321.35
4	eSykfFk;ku Qkely’ku			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	76.00	96.00

	DESCRIPTION	UNIT	2012-13	2011-12
5	ekukØkVkQkl rduhdh			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1207.00	978.00
	भट्टी तेल	लीटर	179.25	328.16
6	ekukØkVkQkl Qkeqys'ku			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	22.00	25.00
7	cqVkDyksj rduhdh			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	-	632.00
	भट्टी तेल	लीटर	-	1798.45
8	cqVkDyksj Qkeqys'ku			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	-	47.00
9	MkbdksQky rduhdh			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	8342.00	5770.00
	भट्टी तेल	लीटर	3568.00	2717.00
10	MkbdksQky Qkeqys'ku			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	192.00	30.00
11	esadkstsc			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1453.00	1085.00
	भट्टी तेल	लीटर	93.00	96.00
	ईंधन तेल (एचएसडी)	लीटर	184.00	193.00

समृद्धि हेतु सुरक्षा

Qke [k

ik|kfxdh d vkeyu l lcf/kr fooj.k d idVhdj.k d fy, ii=

vuql/kku ,o fodkl ¼vkj ,.M Mh½

1. विशेष क्षेत्र जिनमें कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया

क) पैस्टिसाइड्स एवं उनके फार्मुलेशनों के विश्लेषण हेतु उपकरणीय प्रणाली द्वारा आद्र–विश्लेषण का प्रतिस्थापन करना ।

ख) वर्तमान पैस्टिसाइड्स फार्मुलेशनों के लिए सुरक्षित मितव्ययी एवं पर्यावरण अनुकूल नुस्खे का विकास, स्थानीय तौर पर उपलब्ध स्वदेशी कच्ची सामग्री तथा अक्रियों का उपयोग करके लागत दक्षता में सुधार लाना ।

ग) कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार लाना कम विषैली तथा पर्यावरण अनुकूल कच्ची सामग्री का प्रयोग करना तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना।

घ) प्रयोगशाला तथा पॉयलट–प्लांट स्तर पर इन हाउस अनुसंधान एवं विकास द्वारा वाणिज्य स्तर तक प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्लांट ट्रायल में विनिर्माणन यूनिटों का सहयोग करना।

2. उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ

क) यूनिटों की प्रक्रिया से संबंधित कठिनाईयों का मुकाबला करना।

ख) महंगे दाम के निवेशों के स्थान पर उचित कम कीमत के विकल्पों का प्रतिस्थापन करना।

3. भावी कार्य योजना

क) इम्लसीफीयर – सरफैक्टेंट के प्रायोगिक अध्ययन के पश्चात् वर्ष 2012–13 के दौरान डीडीटी फार्मुलेशन, इम्लसीफियर के संश्लेषण के प्रयोगशाला विश्लेषण आरम्भ किया गया है।

ख) मिट्टी विश्लेषणः– प्रयोगशाला प्रयोगों से यह पाया गया कि संशोधन, जो प्रयोगशाला में विभिन्न मिश्रणों से तैयार किए गए हैं, वे मिट्टी की लवणता को कम कर रहे हैं । यह भी देखा गया कि इन संशोधनों का प्रयोग से मिट्टी पीएच को सर्वोत्तम फसल के अनुकूल बनाया है । अगले मिट्टी परीक्षण के लिए इसका स्तर बढ़ाया जा रहा है । भारत के विभिन्न राज्यों से मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जाएंगे ।

ग) विभिन्न तरलीय पाउडर फार्मुलेशन जैसे डीडीटी 75ः डब्ल्यूपी अल्फा साइप्रमेथ्रिन 5ः डब्ल्यूपी तथा डेल्टा मेथ्रिन 2.5ः डब्ल्यूपी पर विभिन्न लागत प्रभावी झागरहित/झागरोधी सरफैक्टेंट को शामिल करते हुए अध्ययनों का संचालन।

घ) ग्लाइफोसेट फार्मुलेशन के लिए नुस्खा विकसित करना ।

ड) पेडीमेथ्रिन फार्मुलेशन के लिए नुस्खा विकसित करना एवं शेल्फ लाइफ अध्ययन संचालित करना।

च) विभिन्न कृषि प्रतिपादनों में प्रयुक्त नए विलायक, भराव, पायसीकर्ता तथा अन्य कच्ची सामग्री, जो पर्यावरण अनुकूल और हमारे उत्पादन को बाजार में प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लायक बना पाए, का पता लगाने के लिए विश्लेषण को जारी रखना।

छ) गुणवत्ता अनुरक्षण के लिए हमारी विभिन्न एककों में प्रसंस्करण संबंधी समस्याओं का समय–समय पर समाधान करना।

4- vuqla/kku ,oa fodkl dk;Z ij O;;

क) पूँजी	रू. 12,13,877/-
ख) आवर्ती	रू. 87,68,733/-
dqy	:- **99,82,610/-**

Qkez x

fons'kh eqnzk vk; ,oa O;;

i) निर्यात से संबंधित गतिविधियों, निर्यात को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयास, उत्पादों एवं सेवाएं तथा निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजार का विकास ।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने 62 मी.ट. मैंकोजेब 80ः डब्ल्यू पी., 381.62 मी.ट. डीडीटी 75ः डब्ल्यू पी. तथा 21.03 मी.ट. इण्डोसल्फॉन तकनीकी का निर्यात किया है ।

ii) कुल विदेशी मुद्रा से आय एवं व्ययः

	(रू0 करोड़ में)
विदेशी मुद्रा आय	20.17
विदेशी मुद्रा व्यय	7.59

31 ekp] 2013 dks lekIr o"kZ ds fy, fgUnqLrku bUlsfDVlkbMl fyfeVsM ds y{[kk ij dEiuh vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 619¼4½ ds vUrxZr Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;ka

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय सूचना देने की पद्धति के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है । भारत के इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट की उनकी अपनी व्यावसायिक निकाय द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार, स्वतन्त्र लेखा–परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अपने विचार प्रकट करने के लिए उत्तरदायी हैं । यह दिनांक 26 अगस्त 2013 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पुनरावलोकन न करने का निर्णय लिया है तथा इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत काई टिप्पणी नहीं है ।

—rFkk ,oa Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh vksj ls

न. अ. कुमार
20/9/13.

¼u;uk v0 dqekj½
प्रधन निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड –II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :20–9–2013

Lora= ys[kkijh{kd dh fjiksVZ

सेवामें सदस्य गण
fgUnqLrku bUlsfDVlkbM~l fyfeVsM
foÙkh; fooj.k lca/kh fjiksVZ

हमने हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, कोर–6 स्कोप काम्पलैक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 पर है इस वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2013 के अनुसार बैलेंस शीट लाभ हानि विवरण उस वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण तथा विशिष्ट लेखानीति सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

क. प्रधान कार्यालय तथा बठिंडा संयंत्र, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, दिल्ली और अनुसंधान एवं विकास काम्पलैक्स के लेखे की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारत सरकार के नियुक्ति के पत्र के अनुसार की गई है।

ख. रसायनी संयंत्र अलवॉय संयंत्र, कोलकाता, अहमदाबाद, अकोला, हैदराबाद और कोयम्बटूर स्थित क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों के लेखों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टों पर हमने विचार किया है। इसके अलावा उसमें दर्ज आंकड़ों/वर्गीकरण का हमने कोई सत्यापन नहीं किया है।

foÙkh; fooj.k ds fy, izca/ku dk mÙkjnkf;Ro

केवल प्रबंधन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा 3(ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुसार *''सापेक्ष राय आधार में किए गए खुलासे को छोड़कर''* कंपनी की वित्तीय स्थिति वित्तीय निष्पादन और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सुसंगत आतंरिक नियंत्रण तंत्र बनाना, लागू करना, अनुपालन करना शामिल है जो कंपनी की सही तस्वीर प्रस्तुत करने वाले तथा मिथ्या विवरण से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, वित्तीय विवरण तैयार करें और प्रस्तुत करें।

ys[kkijh{kd dk mÙkjnkf;Ro

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है। हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं को पूरा करें और इस प्रकार से योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें कि यह आश्वासन प्राप्त हो सकें कि वित्तीय विवरण में बहुत अधिक मिथ्या विवरण नहीं हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में दी गई राशि और प्रकट किए गए विवरणों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना होता है । लेखापरीक्षा अपने विवेक के अनुसार तथा धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरण में अत्यधिक मिथ्या विवरण के जोखिम को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं का चयन करना है । जोखिम का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने और उसके निष्पक्ष प्रस्तुती कारण से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण को भी ध्यान में रखता है । लेखपरीक्षा में इस बात का भी मूल्यांकन किया जाता है कि अपनाई गई लेखाकरण नीतियॉ उपयुक्त हैं तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखाकरण प्राक्कलन ठीक है तथा लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है ।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त है और हमारे लेखापरीक्षा मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है ।

अपेक्षित मत का आधार

d- jktLo

1. *प्बी–लेखा टिप्पण'' के नोट 6 के साथ पठित लेखाकरण नीति सं0 14 के अनुसरण में कंपनी ने उत्पाद को बेचते समय बिक्री लेखा, तदनुरूपी देनदार और परिणामी उत्पाद शुल्क, प्रचलित दर/मूल्य पर बिक्री कर या वैट को ध्यान में रखा। प्रबंधन के अनुसार वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद 8–9 महीने का समय मूल्यों का निर्धारण करने में लग जाता है उस मूल्यों का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय मूल्य अंतरों को ध्यान में रखते हुए परिणामी उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या वैट को भी ध्यान में रखा गया । बेचे गए उत्पादों के संबंध में वर्ष की समाप्ति पर मूल्य, शुल्क या कर का निर्धारण होने तक मूल्य, उत्पाद शुल्क बिक्री कर या वैट में मूल्य विभेद का लेखा जोखा । अतः उस वर्ष के लिए लेखाओं पर उनका प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।*

2. *कंपनी ने आय कर अधिनियम 1961 की धारा 115 जे बी के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर के अनुसार कराधान का प्रावधान नहीं रखा क्योंकि चालू वर्ष के दौरान कंपनी को कई कर योग्य नुकसान हुए । हमारी राय में अनुमानित कर देयता 49.97 लाख रूपये हैं । परिणामतः चालू लाभ और ''आरक्षित निधि तथा अधिशेष'' उतनी राशि तक अधिक बताई गई।*

[k- eky lwph

1. *प्वर्ष 2011–12 में बठिंडा संयंत्र में तैयार माल के अन्तिम स्टॉक का मूल्यांकन करते समय 24.20 लाख रूपये का उत्पाद शुल्क शामिल नहीं किया गया था जबकि खर्च के रूप में उसका प्रावधान किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान उत्पाद शुल्क प्रत्यावर्तित कर दिया गया जिससे चालू लाभ और ''आरक्षित निधि एवं अधिशेष'' 24.20 लाख रूपये अधिक बताया गया।*

2. *प्कुछ यूनिटों में तैयार माल के अन्तिम स्टॉक का मूल्यांकन करने में प्रधान कार्यालय व्यय और प्रशासनिक व्यय का समानुपाती शेयर शामिल किया गया जो लेखांकन मानक 2 (माल सूची का मूल्यांकन) के अनुसार नहीं है। कंपनी के पास 31 मार्च 2013 को 2275.12 लाख रूपये का तैयार माल था। 3509.50 लाख रूपये का प्रारम्भिक स्टॉक था। प्रारम्भिक और अन्तिम तैयार माल का मूल्य ज्यादा बताया*

गया इस प्रकार के गैर–अनुपालन का लाभ तथा मालसूची मूल्य के ओवरस्टेटमैंट पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका।

3. रसायनी यूनिट में चालू कार्य मालसूची का मूल्यांकन कच्चे माल की लागत 2332.80 लाख रूपये किया गया और इसमें माल के रूपांतरण की समानानुपाती लागत और वर्तमान स्थान और हालत में माल को लाने में अन्य व्यय की समानानुपाती लागत को शामिल नहीं किया गया यह लेखाकंन मानक –2 के अनुसार नहीं है । इन गैर अनुपालन का लाभ एवं मालसूची मूल्य के न्यून कथन (अंडर स्टेटमैंट) पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका ।

4. कुछ यूनिटों ने बेकार/क्षतिग्रस्त स्टॉक का निर्धारण नहीं किया और उसे भी उपयोगी स्टॉक ही माना है । इन यूनिटों ने कंपनी की ऐसी लेखाकरण नीति अपनाई है जिससे ऐसे स्टॉक पर लाभ/हानि का लेखा जोखा निपटान के वर्ष में किया जाता है जो लेखाकरण मानक दृ 2 (मालसूची का मूल्यांकन) के अनुसार नहीं है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे स्टॉक का मूल्यांकन निवल प्राप्त मूल्य पर किया जाए । इस गैर दृफ्रिींन्कृर्ि का लाभप्रदत्ता और मालसूची मूल्य के अतिकथन पर पड़ने वाले प्रभाव का निध ार्रण नहीं किया जा सका ।

5. ''ख – लेखा टिप्पण'' के टिप्पण सं0 5ग के अनुसार मालसूची में 267.33 लाख रू0 के सामान एवं अतिरिक्त पुर्जे तथा 107.50 लाख रू0 की पैकिंग सामग्री शामिल है जिसका पिछले तीन वर्षों से प्रयोग नहीं हुआ है। एक यूनिट के शाखा लेखा परीक्षक ने अनुप्रयोज्य माल के रूप में 30. 08 लाख रू0 के प्रावधान की सिफारिश की है। सूचना के अभाव में पैकिंग सामग्री तथा सामान एवं अतिरिक्त पुर्जे के लिए प्रावधान का अभिनिर्धारण नहीं किया जा सका। परिणामतः 30.08 लाख रू0 राशि का चालू लाभ और मालसूची का अतिकथन (ओवर स्टेटमैंट) किया गया।

6. मालसूची में 85.41 लाख रू0 का एण्डोसल्फॉन शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने 13 मई, 2011 के अपने आदेश द्वारा एण्डोसल्फॉन के उत्पादन, प्रयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है। कानूनी कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई और मालसूची पर ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम का प्रभाव का लेखाकरण कंपनी द्वारा कार्यवाहियों के पूरा होने पर किया जाएगा। प्रबन्धन द्वारा बताए गए अनुसार इस रिपोर्ट की तारीख तक 79.33 लाख रू0 का माल बेचा जा चुका है।

x- 0;kikj ls izkI; jkf'k

1. 'ख' लेखा टिप्पण के टिप्पण सं. 4 के अनुसार विविध देनदार में 1239.53 लाख रूपये (संदेहास्पद वसूली के लिए पहले से किए गए प्रावधानों की निवल राशि) शामिल है, जो तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया है । ऐसे मामलों में कंपनी ने कोई प्रावधान नहीं किया है क्योंकि उसे सही और वसूलनीय माना है ।

क) इसके अलावा कंपनी ने सूचित किया है कि 793.91 लाख रू0 स्वास्थ्य मंत्रालय (एनवीबीडीसीपी/एनएएमपी), 81.58 लाख रू0 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ओर 364. 04 लाख रू0 अन्य पार्टियों को प्राप्त होने हैं।

ख) यूनिटों से मिली सूचना के अनुसार कंपनी ने अन्य पार्टियों से 91.66 लाख रू0 की बकाया रकम प्राप्त करने के लिए मुकद्दमा किया हुआ है। 83.98 लाख रू0 की स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) दर्शाती है कि इन पार्टियों का या तो पता नहीं है या वे दिवालिया हो गई हैं या इन मामलों का लंबे समय से समाधान किया जाना अपेक्षित है।

ग) अधिकांश मामलों में शेष (बैलेंस) की पुष्टि की जानी बाकी है।

घ) कुछ शाखा लेखापरीक्षकों ने सुसंगत सूचना उपलब्ध न होने के कारण या तो उपबंधों के हक में स्पष्ट राय दी है या इस मुद्दे पर की गई टिप्पणियों को खारिज किया।

ड) हमारी राय में 364.04 लाख रू0 की राशि (स्वास्थ्य मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से वसूल की जाने वाली राशि शामिल नहीं है जो कि प्रबंधन के द्वारा बताए गए अनुसार वसूल की जानी है) का प्रावधान करने की आवश्यकता है । क्योंकि उसकी वसूल संदेहास्पद है और उनमें मुकद्दमें के मामले मान्य नहीं हैं । अतः चालू लाभ और व्यापार से प्राप्य राशि में उक्त राशि की वृद्धि दिखाई देती है।

p- fLFkj vkfLr;k

1. उद्योगमण्डल यूनिट में उत्पादन प्रक्रिया में से हटाई गई संयंत्र और मशीनरी को बट्टेखाते में डाला गया मूल्य और उस पर मूल्यह्रास का प्रावधान न किए जाने के कारण 10. 95 लाख रू0 की आस्तियों की हानि के लिए प्रावधान नहीं किया गया जिससे लेखाकरण मानक 28 (आस्तियों की हानि) का अनुपालन नहीं हुआ । चालू लाभ एवं स्थिर आस्तियों में इतनी राशि की वृद्धि दिखाई दे रही है।

N- vU; xSj orZeku vkfLr;k

अन्य गैर वर्तमान आस्तियों में उद्योगमण्डल यूनिट में वी आर एस के लिए कर्मचारियों को किए गए भुगतान के कारण आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में 2.85 लाख रू0 की राशि शामिल है। ए एस –26 (अमूर्त आस्तियॉ) के संदर्भ में उक्त राशि अमूर्त राशि माने जाने के मानदंड को पूरा नहीं करती, अतः विपरीत प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है। परिणामतः लाभ और अन्य गैर वर्तमान आस्तियों में उक्त राशि अध िक दिखाई दे रही है।

t- vU; pkyw vkfLr;k

" अन्य चालू ''आस्तियों'' में डीडीटी की आपूर्ति पर मूल्य विभेदक के कारण वर्ष 2003–04 और वर्ष 2005–06 के लिए सी बी ई सी से दावाकृत उत्पाद शुल्क की वापसी के कारण 122.35 लाख रू0 की राशि शामिल है। प्रबंधन ने बताया कि सी बी ई सी द्वारा दावे को अस्वीकृत कर दिए जाने पर उक्त दावे की वसूली स्वास्थ्य मंत्रालय से हो जाएगी। प्रबन्धक के प्रत्यावेदन को देखते हुए हम अवसूलनीय राशि का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं।

>- nh?kZdkfyd _.k ,oa vfxze

1. ''ख– लेखा टिप्पण'' के टिप्पण सं. 4 के अनुसार, 332.92 लाख रू0 के ऋण एवं अग्रिम तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है। (संदेहास्पद वसूली के लिए पहले से किए गए प्रावधानों का निवल) इस शेष में शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा बताए गए अनुसार प्राप्त मूल्य के लिए या वसूली के लिए समायोजन होने तक लेनदारों के खाते में डेबिट शेष शामिल हैं, जिनके लिए प्राप्त मूल्य के न तो ब्योरे और न ही वसूली के लिए दावों की विधिक प्रवर्त्तनीयता प्रबंधन वर्ग द्वारा हमें उपलब्ध करवायी गई। कुछ शाखा लेखा परीक्षकों ने सुसंगत सूचना उपलब्ध न होने के कारण उपबंधों के लिए स्पष्ट राय

व्यक्त की या इस मुद्दे पर टिप्पणी को खारिज कर दिया। अतः उक्त 332.92 लाख रू0 की राशि जिसकी वसूली संदेहास्पद लग रही है का प्रावधान करने की जरूरत है। परिणामतः चालू लाभ और दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम में उक्त राशि अधिक दिखाई दे रही है।

2. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम (टिप्पण 12) में भुगतान के लिए उस वर्ष के दौरान प्रयुक्त 33.43 लाख रू0 मूल्य के डी ई पी बी लाइसेंस रसायनी यूनिट शामिल है। डी ई पी बी लाइसेंस के मूल्य को आस्ति माने जाने के कारण इस राशि का खर्च के रूप में समायोजन किया जाना अपेक्षित है। अतः चालू लाभ एवं दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम में उक्त राशि अधिक दिखाई दे रही है।

´- vkdfLed n:;rk,i

1. 'ख लेखा टिप्पण देयताएं सं. 1 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान किया गया है) में डीडीटी 50ः और मैलाथियॉन तकनीकी की सप्लाई पर मूल्य विभेदक के कारण उत्पाद शुल्क का देरी से भुगतान करने पर उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा 2001–02 से 2010–11 तक की अवधि के लिए भिन्न दृ भिन्न वर्षों के लिए मांगे गए 403. 91 लाख रू0 के ब्याज की राशि शामिल है। कंपनी ने 2001–02 से 2004–05 तक की अवधि से संबंधित 133.04 लाख रू0 के ब्याज के विरूद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण में अपील फाइल की है। लेकिन शेष अवधि के लिए उन्हीं आधारों पर 270.87 लाख रू0 की मांग के विरूद्ध कोई अपील नहीं की है कंपनी ने बताया कि इस देयता की हालांकि भविष्य में प्रतिपूर्ति भारत सरकार से की जाएगी। चूँकि इसके लिए हमें कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः हम प्रबंधन की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।

2. उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा 2001–02 से 2010–11 तक की अवधि के लिए मांगी गई शस्तियों से संबंधित 827.29 लाख रू0 की आकस्मिक देयताएं प्रकट नहीं की गई हैं।

3. पूर्ववर्ती वर्षों के लिए यूनिटों द्वारा उगाहे जाने/संशोधित किए जाने के लिए लंबित 10646.84 लाख रू0 के सांविधिक फार्मों (फार्म सी/एफ/एच) पर केन्द्रीय बिक्री कर के संबंध में आकस्मिक देयताएं प्रकट नहीं की गई और उनका निर्धारण नहीं किया जा सका।

V- iLrqrhdj.k

1. चालू एवं गैर मौजूदा आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण कंपनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची टप् के अनुसार नहीं किया गया। कंपनी की व्यापार से प्राप्त 7205.31 लाख रू0 की राशि है जो पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बकाया है । पैरा सी–1 में तीन से अधिक वर्षों से बकाया प्राप्य राशियों के बारे में स्पष्ट किया गया है जिसमें पुष्टि मान्यता आदि के बारे में कुछ नहीं बताया गया है हमारे विचार में रिपोर्टिंग तारीख के बाद एक वर्ष के अंदर इतनी बड़ी राशि प्राप्त होने की आशा नहीं है । इन राशियों को चालू आस्तियों के बजाय गैर वर्तमान आस्तियों के तहत दीर्घकालिक व्यापार से प्राप्य राशि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों (328.22 लाख रू0 देनदारों के क्रेडिट बैलेंस हैं) और ट्रेड की देय बकाया देयताओं (613.30 लाख रू0 तीन से अधिक वर्षों से बकाया है) को गैर वर्तमान देयताओं के बजाए चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि हमारी राय में रिपोर्टिंग तारीख के बाद एक वर्ष के अंदर ये भुगतान के लिए देय नहीं है।

वांछनीय सूचना न होने के कारण गैर–प्रस्तुतीकरण की सही राशि तय नहीं की जा सकी।

2. कंपनी ने लेखा–टिप्पण में कई जगह पर चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ पिछले वर्ष के आंकड़े न देकर प्रस्तुतीकरण कंपनी अधिनियम में निर्धारित किए गए अनुसार नहीं किया है।

3. कंपनी ने प्रस्तुतीकरण कंपनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची टप् के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार नहीं किया है उस अनुसूची के अनुसार लेखा टिप्पण जो भाग ख में दिए गए हैं उन्हें वित्तीय विवरण के टिप्पण के क्रम में देने की जरूरत नहीं है।

4. कंपनी अधिनियम 1956 की संशाधित अनुसूची–VI द्वारा यथापेक्षित दीर्घावधि ऋण को लगातार चुकौती न किए जाने की अवधि व राशि और चुकौती की शर्तें टिप्पण 3 के साथ दर्शाई नहीं गई।

B- vU;

1. सीईएनवीएटी क्रेडिट लेखा, सेवाकर प्राप्य लेखे कुछ यूनिटों में लेखा बहियों से मेल नहीं खाते। वित्तीय विवरण की तारीख को कंपनी के निवल लाभ पर तथा कंपनी के कारोबार पर समाधान के परिणाम का प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका।

2. 31 मार्च, 2013 को कुल बिक्री और कुल आस्तियों में बीज व्यापार का हिस्सा 10ःही रहा । अतः इस सीमा तक लेखाकरण मानक –17 (खण्ड रिपोर्टिंग) नहीं होता। इसके अलावा कंपनी भिन्न–भिन्न जोखिम वाले उत्पादों (कृषि उत्पाद एवं डीडीटी) का भी कंपनी व्यापार कर रही है –इनमें रिटर्न प्रोफाइल में मानक के तहत व्यवसाय खण्डों के अनुसार राजस्व और आस्तियों और देयताओं को दर्शाना पड़ता है यद्यपि, कंपनी इस का अनुपालन करती है कि ये कीटनाशी है और उसकी भी यही रिस्क प्रोफाइल होती है।

3. लेखाकरण मानक दृ 20 (प्रति शेयर आय) द्वारा यथापेक्षित प्रति शेयर मूल और कम आय को प्रकट नहीं किया गया।

4. लेखाकरण मानक 29 (उपबंध, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियॉ) द्वारा यथापेक्षित उपबंधों के अनुपालन का प्रकटीकरण नहीं किया गया।

5. लेखाकरण मानक– 12 (सरकारी अनुदान) के अनुसार सरकारी अनुदान को अपेक्षित ढ़ग से प्रकट नही किया गया।

6. कंपनी ने भविष्य में सुनिश्चित आय को देखते हुए लेखाकरण मानक –22 के अनुसरण में आस्थगित कर आस्तियों का सृजन नहीं किया है।

3 iHkko dk fo'ys"k.k

1. पर्याप्त सूचना के अभाव में हम लाभ हानि विवरण के अनुसार उस वर्ष के लाभ पर तथा 31 मार्च, 2013 के तुलन पत्र के अनुसार कारोबार पर ए 1, बी2, बी3, बी4, बी6, एफ1, एच1, एच4, आई1 काफी हद तक जे. 1 के संभावित प्रभाव पर कुछ टिप्पणी नहीं कर पा रहे है पैरा 1.2, 1.3 और 1.4 का

वित्तीय परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं है । जे2 से जे6 तक में लेखाकरण मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है।

2. *हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि चूँकि ऊपर पैराग्राफ के–1 में उल्लिखित मदों पर प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था इसलिए उन पर ध्यान दिए बिना यदि ऊपर पैराग्राफ ए से जे तक में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में लिया जाता तो 305.14 लाख रू0 का कर पूर्व चालू लाभ 543.30 लाख रू0 की हानि में बदल जाता है और 292. 44 लाख रू0 के निरंतर परिचालन से प्राप्त लाभ 556.00 लाख रू0 निरंतर परिचालन से होने वाली हानि में बदल जाता।*

आरक्षित एवं अधिशेष (–) 1073.53 लाख रू0 होते (–) 138.22 लाख रू0 के सूचित आंकड़े के सामने), वस्तुसूची दृ 7839.04 लाख रू0 (7869.12 लाख के सूचित आंकड़ों के सामने), चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत प्राप्य व्यापार–7054. 92 लाख रू0 (सूचित किए गए 14624.27 लाख रू0 के आंकड़ों के सामने) स्थिर परिसम्पत्तियॉ दृ 2662.35 लाख रू0 (सूचित किए गए 2673.30 लाख रू0 के आंकड़ों के सामने) अन्य गैर वर्तमान सम्पत्तियॉ दीर्घावधि प्राप्य व्यापार के साथ –7442.54 लाख रू0 (सूचित किए गए 240.08 लाख रू0 के आंकड़े के सामने) दीर्घवधि ऋण एवं अग्रिम दृ 332–20 लाख रू0 (सूचित किए गए 698.55 लाख रू0 के आंकड़ों के सामने) प्राप्य व्यापार दृ 4423.60 लाख रू0 (5036.90 लाख रू0 के आंकड़ों के सामने) अन्य दीर्घावधि k ÄáÍÂ¡¬—1578-45 yk[k :0 ¼lfpr fd, x, 636-93 yk[k :0 d vkdMk d lkeu½ vU; pky n;rk, &3820-06 yk[k :0 ¼lfpr fd, x, 4148-28 yk[k :0 d lkeu½ vkj vkdfLed n;rk, 9423-49 yk[k :0 gkrh ¼lfpr fd, x, 8596-10 yk[k :0 d cny½

vif{kr jk;

*gekjh jk; e rFkk gekjh lokÙke tkudkjh vkj ge iLrr Li"Vhdj.k d vk/kkj ij ^*ifjlhfer jk; d vk/kkj** i`jkxkQ rFkk vU; fof/k ,o fu;ked vko';drkvk dh fjikVZ d ijk&I d vulkj gekj ifjf'k"V e ckYM e lfpr fd, x, ekeyk e o.kr ekeyk d lcf/kr iHkkok dk NkMdj vf/kfu;e d vulkj vif{kr tkudkjh ;Fkkifkr <x l iLrr djr g vkj Hkkjr e lkekU; rkj ij Lohdr y[kkdu fl)krk d vulkj fuEufyf[kr dk okLrfod ,o mfpr fooj.k iLrr djr g ¼*

क. तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च, 2013 तक कम्पनी के कार्यों की स्थिति ;

ख. लाभ व हानि विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ; और

ग. नकद प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह ।

vU; fof/k ,o fu;ked vko';drkvk ij fjikVZ

1. अधिनियम की धारा 227 की उप धारा 227 की उप धारा (4क) के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के द्वारा यथापेक्षित, हम आदेश के पैरा 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर परिशिष्ट में एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा यथा अपेक्षित हम सूचित करते हैं कि;

क. हमने सभी जानकारी ओर विवरण प्रापत किए हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

ख. लेखा पुस्तकों की हमारी जॉच की रिपोर्ट के आधार पर हमारी राय में कंपनी ने विधि के अनुसार अपेक्षित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव किया है तथा जिन शाखाओं में हम नहीं गए हैं, उनके लेखा परीक्षा के उद्देश्य से उचित पर्याप्त विवरण दिए हैं।

ग. शाखा कार्यालयों के खातों पर जो रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई, वह कंपनी के लेखा–परीक्षकों की अपेक्षा धारा 228 की उप धारा (3) के खण्ड (ग) में यथापेक्षित थी तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट को तैयार करने में शामिल की गई है।

घ. इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण की चर्चा की गई हैं, वे शाखाओं, जहॉ हम नहीं गए हैं, से प्राप्त विवरण तथा लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

ड. *gekjh jk; e ^*ifjlhfer jk; d vk/kkj** e o.kr ekeyk d iHkkok dk NkMdj rqyu i=] ykHk ,o gkfu fooj.k rFkk udn iokg fooj.k diuh vf/kfu;e 1956 dh /kkjk 211 dh mi /kkjk ¼3x½ e mfYyf[kr y[kkdu ekud d vu:i gA*

च. 31 मार्च, 2013 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों तथा निदेशक मण्डल से लिए गए अभिलेख के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (I) के खण्ड (छ) के संदर्भ में नियुक्त निदेशक के रूप में 31 मार्च, 2013 तक काई भी निदेशक अयोग्य नहीं ठहरा है।

छ. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 क के तहत दिया जाने वाला उपकर के निर्धारण के संबंध में केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है न ही उपरोक्त धारा के तहत कोई नियम जारी किया है, जिसके अन्तर्गत ऐसा उपकर देना है, कंपनी द्वारा कोई उपकर देय नहीं है।

—r : ,l ,l ,vkj ,.M ,lkfl ,V l
lunh y[kkiky
,Qvkj,u 004739 ,u

संदीप गर्ग

Ih,- lnhi xxZ
¼Hkkxhnkj½
InL;rk l[;k&089852

LFkku ¼ ubZ fnYyh
fnukd ¼ 26 vxLr] 2013

31 ekpZ 2013 dks lekIr o"kZ dks lekIr o"kZ ij fgUnqLrku bUlsfDVlkbMsl fyfeVsM fyfeVsM ds lnL;ksa dks o"kZ ijh{kdksa dh fjiksVZ dh vuq; fof/k ,oa fu;ked vko';drkvksa ij fjiksVZ ds iSjk 1 esa mfYyf[kr vuqyXud

(i) (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रख–रखाव किया है और उनमें अचल परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण सहित उनकी पूरी स्थिति दर्शाई है ।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है ए प्रबधंन द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रभागए प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय बिक्री कर्यालयए उत्तर को छोडकर वार्षिक आधार पर सभी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है । तथापिए प्रत्यक्ष् सत्यापन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। बठिंडा यूनिट के मामले मेंएकुछ विभागए जैसे प्रयोगशालाए प्रशासन विभाग आदि की स्थिर परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है ।

(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया है।

(ii) (क) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कि कच्चा माल तथा तैयार मालएपरिचालनाधीन कार्य तथा पैंकिंग सामग्रीएकुछ यूनिटों मे भण्डार एवं पुर्जे को छोड़कर प्रबन्धन द्वारा उचित आधार पर प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किए गए हैं ए तथापिए प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(ख) मालसूची के वास्तविक सत्यापन के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कम्पनी के आकार तथा इसके कार्य–व्यापार के सन्दर्भ में तर्कसंगत व उपयुक्त है। rFkkfi] fooj.; o"kZ ds nkSjku dqN ;fuVksa esa Hk.Mkj ,oa iqtksZ dk okLrfod lR;kiu ugha fd;k x;k gSA

(ग) मालसूची संबंधी अभिलेखों की हमारी जॉच के आधार परए हम लोगों की यह राय है कि कम्पनी मालसूची से संबंधित अभिलेखों का समुचित रख–रखाव कर रही है । rFkkfi] dqN ;fuVksa esa n[kh xbZ eky dh deh@vf/kdrk y[kksa esa ;Fkk lek;ksftr ugha dh xbZ gSA

(iii) (क) जैसाकि कम्पनी ने सूचित किया हैए कम्पनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियमए 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियोंए फर्मों या अन्य किसी पार्टी को किसी प्रकार का सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है ।

(ख) जैसाकि कंपनी ने सूचित किया हैए कम्पनी ने कम्पनी अधिनियमए 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कम्पनियोंए फर्मों या अन्य पार्टियों से किसी प्रकार का सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं लिया है।

(iv) कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मालसूची तथा अचल परिसम्पत्तियों की खरीद एवं माल की बिक्री के लिए कंपनी के आकार तथा कार्य–व्यापार के पर्याप्त अनुरूप है। rFkkfi] iklI; y[kksa ds lca/k esa _.k rFkk vfxze] iqfrHkr tek vkj n; y[kk, fLFkj vuqoh{k.k ds lca/k esa vkUrfjd fu;=.k, lek/kku rFkk iqf"V;ksa etcwr djus dh vko';drk gSA y[kk lefer dh cBd ds dk;ZoÙk esa fopkj&foe'kZ dk iek.k ugha gS rFkk vkarfjd vFkok lkfof/kd y[kk ijh{kdksa }kjk vkarfjd fu;=.k i)fr;ksa esa detksjh dks lekIr djus ds fy, bl fo"k; ij lq/kkjd mik; vifs{kr gSA

blds vfrfjä] cht fctuus dk LFkku ,oa iekf.kr cht ds fcØh rd dPps cht dk jkiuk rFkk rFkk QkmUMs'ku cht esa fodkl djuk lfgr vkarfjd fu;=.k i)fr dks etcwr djus dh vko';drk gSA

(v) लेखा परीक्षा के लिए हम लोगों द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में उल्लिखित कोई संविदा अथवा व्यवस्था नहीं की है। तद्नुसारए यह पैरा लागू नहीं होता है।

(vi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान आम जनता

से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेश तथा धारा 58 क, 58 क क के प्रावधान अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 का कोई अन्य प्रावधान तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं।

(vii) हमारी राय में कम्पनी में आंतरिक लेखा परीक्षा की एक प्रणाली हैए जो कम्पनी के आकार तथा इसके कार्य–व्यापार के अनुरूप है। rFkkfi] gekjh jk; g fd i/kku dk;ky; dh vkrfjd y[kk ijh{kk d vèkhu lekfo"V gkuk pkfg,] tk vc rd vkrfjd y[kk ijh{kk ifØ;k d {k= l ckgj gA vkrfjd y[kk ijh{kk i.kkyh d ckj e ge i.kkyh dh etcrh d fy, rRdky rFkk lfUUkdV vko';drk dk iuEopkj idV djr g, rFkk fofHkUUk ;fuVk dh vkrfjd y[kk ijh{kk fjikVk e fu"d"k d fy, icU/ku dh vufØ;kRed lko/kkuh vif{kr gA

(viii) कंपनी ने स्वयं द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित लागत अभिलेखों का रख–रखाव किया है।

(ix) (क) कम्पनी के अभिलेखों तथा हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी सामान्यतः भविष्य निधिए कर्मचारी राज्य बीमाए आय करए बिक्री कर संपत्ति करए सेवा करए सीमा शुल्कए उत्पाद शुल्कए उप कर तथा अन्य प्रयोज्य सांविधिक देनदारियॉ सहित सभी अविवादित सांविधिक देनदारियॅा नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा कराती रही है।

(ख) कंपनी के अभिलेखों तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2013 तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमाए आय करए सम्पत्ति करए बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उप कर से संबंधित कोई अविवादित राशि उद्योगमंडल यूनिट को छोड़कर, n; rkjh[k l 6 ekg l vf/kd vof/k l cdk;k ugh FkhA tgk lkr l olyk x;k dj iHkkj cdk;k g rFkk mRØe iHkkj ¼fjolZ pktZ½ ij n; lok dj n; gA y[kk iLrdk e iko/kku u gkus d dkj.k rFkk lpuk dh deh d dkj.k fjolZ pktZ ij n; lok dj dh lgh n;rk,a ugha ekih tk ldrhA

(ग) हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क तथा उप कर संबंधी m|ke.My ;fuV rFkk i/kku dk;ky; dk NkM+dj fdlh fookn d dkj.k tek u fd;k x;k dkbZ n; ugha g] C;kjk ifjf'k"V&d d vuqlkj i/kku dk;ky; d vk;dj] mRikn 'kYd rFkk lokdj d ekey] ftudk C;kjk ge ugh fn;k x;k dk NkM+djA

(x) दिनांक 31–03–2013 तक कम्पनी का संचित घाटा इसकी निवल परिसम्पत्ति के 50: से अधिक नहीं हैए तथा कम्पनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान हमारे लेखा–परीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं की है ।

(xi) लेखा परीक्षा की हमारी प्रक्रिया तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय है कि कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंकों को देनदारियॉं वापस करने के मामले में कोई चूक नहीं की है। कम्पनी में कोई ऋण पत्र नहीं है।

(xii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयरों, ऋणपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों को प्रतिभूति के तौर पर गिरवी रखकर किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम नहीं लिया है।

(xiii) कम्पनी कोई चिट फंड निधि / साझा कोष / सोसायटी नहीं है जिसके मामले में चिट फण्ड से संबंधित विशेष सांविधियॉं लागू होती हों।

(xiv) कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों या अन्य निवेशों से संबंधित कोई व्यापार अथवा व्यवसाय नहीं कर रही है।

(xv) कम्पनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी के कर्मचारियों तथा परिसमापन में ''सहायककम्पनी सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपोरेशन लि.'' द्वारा लिए गए ऋण तथा प्रदूषण बोर्ड एवं गेल इंडिया लिमिटेड को 87 लाख रू. एजिनके लिए सरकार का

समर्थन प्राप्त हैए 4652.51 लाख रू. के ऋण की गारण्टी दी है।

(xvi) वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए यह धारा लागू नहीं है।

(xvii) हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान अल्पावधिक शेष कोष का उपयोग दीर्घावधिक पूँजीनिवेश के लिए तथा इसके विपरीत नहीं किया है।

(xviii) कम्पनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

(xix) कम्पनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है।

(xx) कम्पनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम के माध यम से कोई राशि प्राप्त नहीं की है।

(xxi) हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार ए हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखा–धड़ी नहीं की गई अथवा सूचित की गई।

कृते एसएसएआर एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखापाल
एफआरएन 004739 एन

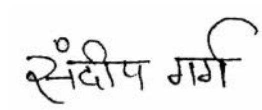

सीए. संदीप गर्ग
(भागीदार)
सदस्यता संख्या–089852

दिनांक : 26 अगस्त, 2013
स्थान : नई दिल्ली

31 ekp] 2013 dks lekIr o"kZ ds fy, fgUnqLrku bUlsfDVlkbMl fyfeVsM ds lnL;ksa dks ys[kk ijh{kdksa dh fjiksVZ dh vU; fof/k ,oa fu;ked vko';drkvksa ij fjiksVZ ds ys[kk ij ys[kk ijhf{kr fjiksVZ ds iSjk&1 ds vuqlkj vuqlph&1

कार्य का स्वरूप	देयों का नाम	राशि (रू.)	प्रतिवेदन के अधीन जमा की गई (रू.)	अवधि जिससे राशि का संबंध है	अदालत जहां विवाद विचाराधीन है
केजीएसटी	केजीएसटी	33680	शून्य	1984-85	उप आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर विभाग, एरणाकुलम्
केजीएसटी	केजीएसटी	573070	शून्य	1987-88	उप आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर विभाग एएरणाकुलम्
केजीएसटी	केजीएसटी	2676	शून्य	1989-90	उप आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर विभाग, एरणाकुलम्
केजीएसटी	केजीएसटी	10248	10248	1992-93	माननीय उच्च अदालत, केरल
केजीएसटी	केजीएसटी	23107	23107	1993-94	माननीय उच्च अदालत, केरल
केजीएसटी	केजीएसटी	2859	2859	1994-95	माननीय उच्च अदालत, केरल
सीएसटी	सीएसटी	100761	100761	1976-77	उप आयुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर विभाग, एरणाकुलम्
सीएसटी	सीएसटी	1128004	282001	1992-93	माननीय उच्च अदालत, केरल
सीएसटी	सीएसटी	2723732	680933	1993-94	माननीय उच्च अदालत, केरल
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	1843018	शून्य	2005-06 2006-07	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील, न्यायाधिकरण बैंगलोर
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	768790	शून्य	2007-08	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील, न्यायाधिकरण बैंगलोर
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	1333757	शून्य	2008-09	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील, न्यायाधिकरण बैंगलोर
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	878084	शून्य	2009-10	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील, न्यायाधिकरण बैंगलोर
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	1041870	शून्य	2010-11	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील, न्यायाधिकरण बैंगलोर
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	1295072	शून्य	2011-12	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील, न्यायाधिकरण बैंगलोर

31&03&2013 dk lekIr foŸkh; o"k d fy, ,p vkb ,y d y[kk ij lkfof/kd y[kk ijh{kdk dh fVIif.k;k vkj ic/ku dk tokc

	fVIif.k;k	प्रबंधन का जवाब
1	अनंतिम और अपनाई गई कीमत पर कीमत की भिन्नता के कारण उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या वैट के प्रभाव को निर्धारित नहीं किया (रिपोर्ट का अनुच्छेद क(1)	लेखांकन नीति सं. (घ) के अनुसार, उत्पाद कर अथवा वैट के प्रभाव की गणना उस वर्ष में की जाती हैए जिस वर्ष में अन्तिम मूल्य निर्धारित किए जाते हैं ।
2	न्यूनतम विकल्प कर के अनुसार कराधान के लिए अप्रावधान न्यूनतम विकल्प कर के अनुसार कराधान के लिए अप्रावधान	वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित आधार पर पहले ही 25 लाख रू0 का भगतान किया जा चुका हैए यदि कोई शेष होगा तो आयकर विवरणी के निश्चित होने के समय दे दिया जाएगा।
3	स्थिर परिसम्पत्तियों–परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय की हानियों (रिपोर्ट के अनुच्छेद घ (1) और ड (1)	अंकित किया गया।
4	वसूली के लिए संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम रिपोर्ट के (अनुच्छेद छ (1)	संदिग्ध /अवसूलनीय ऋण तथा अग्रिम पर लेखा परीक्षकों की टिप्पणी संभावना के आधार पर है । जहां कहीं संदिग्ध/अवसूलनीय ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान आवश्यक थाए उसका प्रावधान दिनांक 31.03.2013 तक लेखा पुस्तकों में किया गया है ।
5	वर्ष के दौरान उपयोग किए गए डीईपीबी लाइसेंस के मूल्यों का गैर समायोजन तथा आस्थगित राजस्व व्यय। (रिपोर्ट का अनुच्छेद छ (2)	वित्तीय वर्ष 2013–14 में समायोजन के लिए अंकित किया गया।
6	Nवसूली के लिए संदिग्ध दृ विविध देनदारों के लिए प्रावधान न होना (रिपोर्ट का अनुच्छेद ग 1(क से ड)	कोई ऋण संदिग्ध है या नहींए यह तय करने के लिए केवल ऋण की आयु एक मात्र मापदण्ड नहीं है। विभिन्न कारक जैसे दृ साखए बाजार में मार्किट की स्थितिए विपणन स्टाफ की प्रतिक्रिया और वसूली की संभावना भी यह तय करने वाला बिन्दु है किए क्या ऋण को खराब और संदिग्ध माना जा सकता है । जिन ऋणों को संदिग्ध माना हैए उनके लिए अपेक्षित प्रावधान पहले से ही कर कर दिए गए हैं।
7	उत्पाद शुल्क पर ब्याज से संबंधित आकस्मिक देयताएं (रिपोर्ट के अनुच्छेद ज (1 से 3)	टिप्पण के अन्तर्गत ब्याज की राशि 31–03–2013 तक स्पष्ट ऋण/देयताएं नहीं थी । इसलिए उन्हें कंपनी के दावों के रूप में दिखाया गया हैए न कि आकस्मिक देयता के तहत ऋण के रूप में यहॉ तक कि यदि देयता निश्चित हो जाती है तो डीडीटी का एक मात्र खरीदार होने के नाते यह भारत सरकार से दावा की जाएगी ।
8	प्रस्तुति तथा अन्य पर टिप्पणियॉ (रिपोर्ट का अनुच्छेद 1 (1 से 4) और (1 से 6)	अंकित किया गया ।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

वी. सेखर

(वी सेखर)
निदेशक (वित्त)

(के. हरिकुमार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

okf"kZd ys[kk

2012-13

31 ekpZ 2013 dks lekIr o"kZ dk rqyu i=

¼₹ yk[k esa½

	fooj.k	uksV u-	31-03-2013 rd	31-03-2012 rd
I	bfDoVh rFkk ns;rk,a			
1)	अंशधारियों की निधि			
क)	शेयर पूँजी	1	**9133.24**	9133.24
ख)	प्रारंक्षित एवं अधिशेष	2	**-138.22**	-430.66
2	vkcaVu dh le; 'ks;j mi;kxh /ku			
3	xSj pkyw ns;rk,a			
क)	दीर्घ अवधि ऋण	3	**2357.64**	1675.80
ख)	अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	4	**636.93**	603.48
ग)	दीघावधि प्रावधान	5	**3972.46**	2980.72
4	pkyw ns;rk,a			
क)	अल्पावधि ऋण	6	**3686.54**	1492.75
ख)	व्यापार देय	7	**5036.90**	4650.88
ग)	अन्य चालू देयताएं	8	**4148.29**	3430.40
घ)	अल्पावधि प्रावधान	9	**562.34**	1868.65
	tksM+		**29396.12**	25405.26
II	ifjlEifŸk;ka			
1	xSjorZekuifjlEifŸk;ka			
क)	fLFkj ifjlEifŸk;ka			
i)	ठोस परिसम्पत्तियॉ	10	**2673.30**	2894.81
ii)	अमूर्त परिसम्पत्तियॉ	11	**0.00**	0.00
iii)	पूँजीगत कार्य प्रगति पर		**1757.99**	878.18
ख)	गैर वर्तमान निवेश	12	**5.20**	5.20
ग)	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	**698.56**	682.28
घ)	अन्य गैर–वर्तमान परिसम्पत्तियॉ	14	**362.43**	119.95
2	pkyw ifjlEifŸk;ka			
क)	वर्तमान निवेश	15	**0.00**	0.00
ख)	वस्तुसूचियॉ	16	**7869.12**	7256.34
ग)	प्राप्य व्यापार	17	**14624.27**	12347.64
घ)	नकद एवं नकद समतुल्य	18	**460.27**	348.21
ङ)	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	19	**241.65**	542.92
च)	अन्य चालू परिसम्पत्तियॉ	20	**703.33**	329.73
			29396.12	25405.26

bl frfFk dh gekjh fjiksVZ ds vuqlkj
,l-,l-,vkj-,lksfl,V~l lunh ys[kkiky
,Qvkj,u ¼ **004739N**

(आर. धीमान)	(जी. नाथ)	(वी. सेखर)	(के. हरिकुमार)	(संदीप गर्ग)
सहायक कंपनी सचिव	महाप्रबन्धक (वि.एवं ले.)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	साझीदार
				सदस्यता संखा 089852

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 19.08.2013

दिनाक : 26.08.13

31 ekpZ 2013 dks lekIr o"kZ dk ykHk& gkfu ys[kk

¼₹ yk[k esa½

	fooj.k	uksV la-	31-03-2013 rd	31-03-2012 rd
	jktLo			
I	परिचालनों से राजस्व	21	**27448.34**	25721.89
II	अन्य आय	22	**549.25**	672.04
III	dqy jktLo (I+II)		**27997.59**	26393.93
IV	O;;			
a)	खपत की गई सामग्री की कीमत	23	**11553.77**	9745.33
b)	तैयार माल की वस्तुसूचियों कार्य चालू विक्रय स्टॉक में बदलाव	24	**-723.37**	-664.56
c)	रोजगार हितलाभ व्यय	25	**9484.06**	9986.16
d)	वित्त लागत	26	**545.12**	209.28
e)	मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय		**367.02**	409.46
f)	अन्य खर्च	27	**6465.85**	6426.87
	dqy [kpZ		**27692.45**	26112.54
V	vlk/kkj.k@vlkekU; en ls iwoZ ykHk		**305.14**	281.39
VI	असाधारण मद		**0.00**	0.00
VII	vlkekU; en ls iwoZ ykHk		**305.14**	281.39
VIII	असामान्य मद		**0.00**	0.00
IX	dj ls iwoZ ykHk		**305.14**	281.39
X	सतत परिचालन चालू वर्ष के कर खर्च		**12.70**	121.00
XI	lrr ifjpkyuksa lsvof/k dsfy, ykHk@gkfu		**292.44**	160.39
XII	vlrr ifjpkyuks dk dj [kpZ		**0.00**	0.00
XIII	vlrr ifjpkyuks dk dj [kpZ		**0.00**	0.00
XIV	vlrr ifjpkyuks ls ykHk@gkfu¼dj i'Pkkr½		**0.00**	0.00
XV	vof/k dsfy, ykHk@gkfu ¼dj i'Pkkr~ ykHk½		**292.44**	160.39

bl frfFk dks gekjh fjiksVZ ds vuqlkj
,l,l,vkj ,lksfl,V~l lunh ys[kkiky
,Qvkj,u % **004739N**

(आर. धीमान)
सहायक कंपनी सचिव

(जी. नाथ)
महाप्रबन्धक (वि.एवं ले.)

(वी. सेखर)
निदेशक (वित्त)

(के. हरिकुमार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(संदीप गर्ग)
साझीदार
सदस्यता संख्या 089852

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 19.08.2013

दिनाक : 26.08.13

foŸkh; fooj.k fVIif.k;k

¼₹ yk[k e½

	विवरण	31.03.2013 तक रू.	31.03.2012 तक रू.
	ukV l- 1 : 'k;j iwth		
d½	ikf/k—r fuxfer, vfHk) r rFkk inŸk 'k;j vkj ifr eY; ifr 'k;j ikf/k—r 'k;j iwth		
	प्रत्येक1000/— के 10,00,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1000/— प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर)	**10000.00**	10000.00
	0/—रू0 के शून्य अधिमान शेयर (गत वर्ष 0/— रू0 के 0 अधिमान शेयर)	**0.00**	0.00
	tkM	**10000.00**	10000.00
	fuxfer] vfHknŸk rFkk inŸk 9,13,324 प्रत्येक रू0 1,000/—के इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1000/— के 9,13,324 इक्विटी शेयर)	**9133.24**	9133.24
	0/— रू0 के शून्य अधिमान शेयर (गत वर्ष 0/—रू0 के 0 अधिमान शेयर)	**0.00**	0.00
		9133.24	9133.24
[k½	o"k dh vkjEHk rFkk vUr e cdk;k bfDoVh 'k;j dh l[;k dk feyku o"k dh vkjEHk e cdk;k 'k;j dh l[;k	**913324**	913324
	जोडिए: वर्ष के दौरान आबंटित शेयर की संख्या	**0**	0
	वर्ष के अन्त में बकाया शेयर की संख्या	**913324**	913324

x½ bfDoVh 'k;j dh lkFk lyXu 'krs@vf/kdkj

कंपनी के पास 1000/— प्रति शेयर मूल्य के केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं ।
प्रत्येक शेयर होल्डर प्रति शेयर एक वोट का हकदार है ।

¼₹ yk[k esa½

विवरण		31.03.2013 तक रू..	31.03.2012 तक रू.
ukWV la- 2 % ikjfEHkd ,oa vf/k'ks"k			
d-	ikjf{kr iwath		
	प्रारम्भिक शेष	**0.00**	0.00
	जोडिएः चालू वर्ष स्थानान्तरण	**0.00**	0.00
	घटाइएः चालू वर्ष में प्रतिलेखित किए गए	**0.00**	0.00
	अन्तिम शेष	**0.00**	0.00
		0.00	0.00
[k-	lkekU; vf/k'ks"k		
	प्रारम्भिक शेष	**-430.66**	-591.06
	जोडिएः चालू वर्ष अन्तरण	**292.44**	160.40
	घटाइएः चालू वर्ष में प्रतिलेखित किए गए	**0.00**	0.00
	अन्तिम शेष	**-138.22**	-430.66
	अधिशेष (लाभ एवं हानि लेखा)	**0.00**	0.00
	वर्ष के लिए लाभ/हानि	**-138.22**	-430.66
ukWV la- 3 % nh?kkZof/k _.k ¼iwfrHkwr _.k½			
	सावधि ऋणः		
	प्रतिभूतः		
	भारत सरकार	**0.00**	0.00
	उपार्जित ब्याज एवं देय	**0.00**	0.00
		0.00	0.00
	अप्रतिभूत		
	भारत सरकार	**2003.80**	1675.80
	उपार्जित ब्याज एवं	**353.84**	0.00
	12 माह के भीतर देय राशि	**0.00**	0.00
	tksM+	**2357.64**	1675.80
	ckWM@_.k i=		
	प्रतिभूत	**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत	**0.00**	0.00
	tksM+	**0.00**	0.00
	cSad@vU; lss lkof/k _.k		
	प्रतिभूत	**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत	**0.00**	0.00
	tksM+	**0.00**	0.00
	dqy tksM+	**2357.64**	1675.80

¼₹ yk[k e½

विवरण	31.03.2013 तक रू..	31.03.2012 तक रू.

ukV l- 4 ½ vU; nh?kkof/k n;rk,

अदेय परिपक्व जमा और उस पर उपार्जित ब्याज	**40.19**	92.35
सुरक्षा जमा / ब्याना राशि	**596.74**	511.13
tkM	**636.93**	603.48

ukV l- 5 ½ nh?kkof/k iko/kku

depkfj;k dh fgrykHk dh fy, ikO/kku

सेवा–निवृत्तन के लिए (अनिधिक)		
आधे दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए	**490.05**	303.32
उपदान के लिए	**5262.19**	4201.36
घटाइएः एचआईएल कर्मचारी उपदान ट्रस्ट के लिए अंतरित	**-3987.70**	-3060.97
छुट्टी वेतन के लिए	**2207.92**	1537.01
बोनस के लिए	**0.00**	0.00
कराधान के लिए	**0.00**	0.00
tkM	**3972.46**	2980.72

ukV l- 6 ½ vYikof/k _.k

ifrHkr

बैंक से नकद क्रेडिट (कच्चे माल निर्माणाधीन कार्य, तैयार माल तथा बही ऋण की एवज में प्रतिभूत)	**3686.54**	1492.75
tkM	**3686.54**	1492.75

विवरण	31.03.2013 तक रू.	31.03.2012 तक रू.
		¼₹ yk[k esa½
ukWV la- 7 ¼O;kikj ns;½		
व्यापार देय (विविध लेनदार)	**5036.90**	4650.88
tksM+	**5036.90**	4650.88
ukWV la- 8¼vU; pkyw ns;rk,a½		
दीर्घावधि ऋण की चालू पूर्णता	**580.60**	498.60
उपार्जित ब्याज परन्तु ऋणों पर देय नहीं	**63.35**	141.94
ग्राहकों से अग्रिम	**328.22**	3.46
एलआईसी प्रीमियम देय	**4.77**	2.75
कमीशन देय	**126.28**	78.48
अदत्त वेतन एवं मजदूरी	**51.15**	6.37
बकाया देयताएं	**2851.99**	2569.44
lkafof/kd ns;rk,a		
ईएसआई देय	**1.38**	8.61
भविष्य निधि देय	**27.62**	27.07
देय वेतन पर टीडीएस	**22.58**	18.72
देय वेतन के अलावा अन्य पर टीडीएस	**11.58**	6.70
सीएसटी देय	**5.25**	34.52
वैट देय	**5.72**	10.41
उत्पाद शुल्क देय	**62.94**	23.33
सेवा कर देय	**4.18**	0.00
टीसीएस देय	**0.68**	0.00
tksM+	**4148.29**	3430.40
नोट सं. 9 : दीर्घावधि प्रावधान		
deZpkfj;ksa dks fgrykHk ds fy, izko/kku		
सेवा–निवृत्तन के लिए (अनिधिक)		
आधे दिन के चिकित्सा अवकाश के लिए	**37.75**	99.22
उपदान के लिए	**241.18**	1071.18
घटाइएः एचआईएल कर्मचारी उपदान ट्रस्ट के लिए अंतरित	**0.00**	0.00
छुट्टी वेतन के लिए	**283.31**	576.80
बोनस के लिए	**0.10**	0.45
कराधान के लिए	**0.00**	121.00
tksM+	**562.34**	1868.65

नोट नं. 10 : स्थिर परिसम्पत्तियाँ ठोस

वर्ष के आरम्भ तथा अन्त में सकल अग्रेनीत राशि तथा निवल अग्रेनीत राशि का समाधान

	सकल अग्रेनीत राशि				संचित राशि				संचित हानि				निवल अग्रेनीत राशि	
विवरण	31 मार्च, 2012 तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च, 2013 तक	31 मार्च, 2012 तक	वर्ष के दौरान दिया गया	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च, 2013 तक	31 मार्च, 2012 तक	वर्ष के दौरान परिवर्तित	वर्ष के दौरान दिया गया	31 मार्च, 2012 तक	31 मार्च, 2013 तक	31 मार्च, 2012 तक
1. भूमि														
अपना	197.57	0.00	0.00	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.57	197.57
पट्टे पर	250.24	0.00	0.00	250.24	33.62	2.52	0.00	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	214.10	216.62
2. भवन														
अपना	1745.94	3.51	0.54	1748.91	973.67	37.58	0.30	1010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	737.96	772.27
पट्टे पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. संयंत्र एवं उपस्कार														
अपना	9445.51	66.12	20.62	9491.01	7908.91	305.34	20.62	8193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1297.38	1536.60
पट्टे पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. फर्नीचर एवं फिक्सर														
अपना	89.13	1.83	3.14	87.82	70.25	2.35	2.92	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.14	18.88
पट्टे पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. गाडियाँ														
अपना	53.50	20.06	5.90	67.66	34.00	3.95	4.87	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	34.58	19.50
पट्टे पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. कार्यालय उपस्कर														
अपना	380.76	40.51	53.06	368.21	264.56	9.50	50.24	223.82	0.00	0.00	0.00	0.00	144.39	116.20
पट्टे पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. कम्प्यूटर														
अपना	125.28	11.97	4.35	132.90	109.14	5.58	4.02	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	16.14
पट्टे पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. अन्य														
अपना	12.61	6.19	2.69	16.11	11.58	0.20	2.65	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	1.03
पट्टे पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	12300.54	150.19	90.30	12360.43	9405.73	367.02	85.62	9687.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2673.30	2894.81
9. पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	878.18	896.21	16.40	1757.99	0.00	0.00	0.00	0.00					1757.99	878.18
कुल जोड़	13178.72	1046.40	106.70	14118.42	9405.73	367.02	85.62	9687.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4431.29	3772.99

नोट नं. 11 : स्थिर परिसम्पत्तियाँ

वर्ष के आरम्भ तथा अन्त में अग्रेनीत सकल राशि तथा निवल अग्रेनीत राशि का समाधान

	सकल अग्रेनीत राशि				संचित राशि				संचित हानि				निवल अग्रेनीत राशि	
विवरण	31 मार्च, 2012 तक	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च, 2013 तक	31 मार्च, 2012 तक	वर्ष के दौरान दिया गया	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च, 2013 तक	31 मार्च, 2012 तक	वर्ष के दौरान परिवर्तित	वर्ष के दौरान दिया गया	31 मार्च, 2013 तक	31 मार्च, 2013 तक	31 मार्च, 2012 तक
1. गुडविल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ब्रॉड/ट्रेड मार्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. मस्तूल शिखर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. खनन अधिकारी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. प्रतिलिप्याधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. एकस्वकृत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विवरण		31.03.2013 तक रू.	31.03.2012 तक रू.
			¼₹ yk[k esa½

ukV l- 12 ¼ xSj orZeku fuos'k

व्यापारिक निवेश		**0.00**	0.00
अन्य निवेश		**5.20**	5.20
	tksM	**5.20**	5.20

ukV l- 13 ¼ nh?kkZof/k _.k ,oa vfxze

d	iwath vfxze			
	प्रतिभूतए खरे समझे गए		**0.00**	0
	अप्रतिभूत खरे समझे गए		**20.52**	0
	संदिग्ध		**0.00**	0
	घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		**0.00**	0
		tksM ¼d½	**20.52**	0
[k	iSfrHkwr tek			
	प्रतिभूत, खरे समझे गए		**0.00**	0
	अप्रतिभूत खरे समझे गए		**127.76**	18.49
	संदिग्ध		**0.00**	0.00
	घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		**0.00**	0.00
		tksM ¼[k½	**127.76**	18.49
x	lacf/kr ikfVZ;ksa dks _.k ,oa vfxze			
	प्रतिभूत, खरे समझे गए		**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत खरे समझे गए		**0.00**	0.00
	संदिग्ध		**0.00**	0.00
	घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		**0.00**	0.00
		tksM ¼x½	**0.00**	0.00
?k	vU; _.k ,oa vfxze			
	प्रतिभूत, खरे समझे गए		**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत खरे समझे गए		**550.28**	663.79
	संदिग्ध		**36.05**	105.73
	घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान		**36.05**	105.73
		tksM ¼?k½	**550.28**	663.79
		tksM ¼d$[k$x$?k½	**698.56**	682.28

¼₹ yk[k esa½

	विवरण	31.03.2013 तक रू.	31.03.2012 तक रू.

ukV l- 14 % vU; xSj orZeku ifjlEifŸk;k

d	nh?kkof/k iwath 0;kikj		
	प्रतिभूत खरे समझे गए	**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत खरे समझे गए	**0.00**	0.00
	संदिग्ध	**0.00**	0.00
	घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.00**	0.00
	tksM+ ¼d½	**0.00**	0.00
[k	vU;		
	प्रतिभूत खरे समझे गए	**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत खरे समझे गए	**359.58**	103.97
	संदिग्ध	**61.70**	0.01
	घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**61.70**	0.01
	tksM+ ¼[k½	**359.58**	103.97
x	lacaf/kr ikfVZ;ksa }kjk ns; _.k ¼LVkd dk _.k vfxze½		
	प्रतिभूत खरे समझे गए		**0.00** 0.00
	अप्रतिभूत खरे समझे गए	**0.00**	0.00
	संदिग्ध	**0.00**	0.00
	घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.00**	0.00
	tksM+ ¼x½	**0.00**	0.00
?k	vkLFkfxr jktLo 0;;		
	प्रतिभूत खरे समझे गए	**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत खरे समझे गए	**2.85**	15.98
	संदिग्ध	**0.00**	0.00
	घटाइएः अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.00**	0.00
	tksM+ ¼?k½	**2.85**	15.98
	tksM+ ¼d$[k$x$?k½	**362.43**	119.95

ukV l- 15 % orZeku fuos'k

क)	इक्विटी में निवेश	**0.00**	0.00
ख)	अधिमान शेयरों में निवेश	**0.00**	0.00
ग)	सरकार अथवा ट्रस्ट प्रतिभूति में निवेश	**0.00**	0.00
घ)	डिबेंचर अथवा बॉण्ड्स में निवेश	**0.00**	0.00
घ)	अन्य निवेश	**0.00**	0.00
	tksM+	**0.00**	0.00

¼₹ yk[k esa½

	विवरण	31.03.2013 तक रू.	31.03.2012 तक रू.
	uksV la- 16 % oLrq lwfp;k		
d-	dPph lkexh		
	स्टॉक में	**1477.65**	1622.15
	मार्गस्थ	**0.00**	35.95
[k-	fuekZ.kk/khu		
	स्टॉक में	**2605.60**	970.98
	मार्गस्थ	**0.00**	0.00
	परिबर्धनाधीन बीज	**248.16**	0.00
x-	rS;kj eky		
	स्टॉक में	**2274.83**	3509.39
	मार्गस्थ	**0.00**	0.00
	उपोत्पाद	**0.29**	0.11
	अबिक्रेय स्टॉक के लिए प्रावधान	**-142.80**	-197.77
?k-	Hk.Mkj ,oa vfrfjä		
	स्टॉक में	**812.08**	749.43
	मार्गस्थ	**42.10**	7.91
M-	[kqys vkStkj		
	स्टॉक में	**1.94**	1.85
	मार्गस्थ	**0.00**	0.00
p-	iSfdax lkexh		
	स्टॉक में	**494.38**	511.72
	मार्गस्थ	**0.00**	0.00
	बीज में	**4.17**	0.00
N-	bZa/ku		
	स्टॉक में	**50.72**	44.68
	मार्गस्थ	**0.00**	0.00
	tksM+	**7869.12**	7256.34

¼₹ yk[k e½

विवरण		31.03.2013 तक रू.	31.03.2012 तक रू.
	ukV l- 17 % VªM ikl;		
d	Hkkxrku d fy, ns; frfFk l N% ekg l vf/kd cdk;k 0;kikj		
	प्रतिभूत खरे समझे गए	**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत खरे समझे गए	**7988.37**	4115.66
	संदिग्ध	**57.82**	44.27
	घटाइएः अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋण	**57.82**	44.27
	tkM ¼d½	**7988.37**	4115.66
[k	ikl; 0;kikj ¼vU;½		
	प्रतिभूत खरे समझे गए	**0.00**	0.00
	अप्रतिभूत खरे समझे गए	**6657.68**	8252.03
	संदिग्ध	**0.00**	0.00
	घटाइए : अशोध्य एवं संदिग्ध के लिए प्रावधान	**0.00**	0.00
	घटाइए : विविध देनदारियों के लिए आरक्षित–इण्डोसल्फॉन	**21.78**	20.05
	जोड़ (ख)	**6635.90**	8231.98
	जोड़ (क+ख)	**14624.27**	12347.64

	ukV l- 18 % udn ,o udn lerqY;		
d-	cd d ikl 'k"k		
I	विशेष प्रयोजन के लिए उद्धिष्ट बैंक शेषः चालू खाते/बचत खाते में	**426.62**	323.85
II	ekftu /ku vFkok ifrHkfr dh ,ot e j[kk x;k cd 'k"k%		
क)	ऋण	**0.00**	0.00
ख)	गारंटी	**25.27**	14.19
ग)	साख पत्र	**0.00**	0.00
घ)	अन्य प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
III	vU; cd 'k"k		
a)	12 माह से अधिक बैंक जमा	**0.00**	0.00
b)	अन्य	**0.00**	0.00
[k	ikl e pd, fMek.M Mk¶V		
	पास में चैक	**0.00**	6.90
	पास में डिमाण्ड ड्राफ्ट	**1.00**	0.00
x	ikl e udn	**5.84**	3.20
?k	vU;	**1.54**	0.07
	tkM	**460.27**	**348.21**

¼₹ yk[k esa½

विवरण	31.03.2013 तक रू.	31.03.2012 तक रू.
ukV l- 19 % nh?kkZof/k _.k ,oa vfxze		
सुरक्षित खरे समझे गए	**21.38**	45.13
अप्रतिभूत खरे समझे गए	**220.27**	497.79
संदिग्ध	**42.73**	34.78
घटाइएः अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**42.73**	34.78
tksM+	**241.65**	542.92
ukV l- 20 % vU; orZeku ifjlEifŸk;k		
उपार्जित ब्याज एवं निवेश पर देय	**18.16**	18.00
पूर्वदत्त व्यय	**7.28**	8.42
सरकार/आईपीएफटी/रेनपेप/अन्यसेवसूलनीय राशि	**129.86**	163.98
प्रतभूत एवं अन्य जमा	**22.67**	139.33
आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	**525.36**	0.00
tksM+	**703.33**	329.73
ukV l- 21% jktLo fcØh		
ipkyuk ls jktLo		
उत्पादों की बिक्री	**30110.95**	27981.63
अन्य प्रचालन राजस्व	**0.00**	0.00
	30110.95	27981.63
घटाइएः उत्पाद शुल्क	**2662.61**	2259.74
tksM+	**27448.34**	25721.89
ukV l- 22 % vU; vk;		
C;kt		
बैंक से	**2.95**	2.36
स्टॉक एवं अन्य से	**6.72**	130.63
विदेशी मुद्रा अन्तर	**6.85**	0.00
किराया	**4.27**	6.26
निर्यात लाभ	**65.88**	18.85
कृषीय आय/परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.67**	0.00
संदिग्ध ऋण दावे एवं अन्य वसूलियों/प्रतिलेखित किए गए	**55.37**	1.26
विविध राशि समायोजित	**0.37**	0.50
विविध आय	**399.92**	395.25
पूर्व अवधि समायोजन – क्रेडिट	**6.25**	116.93
tksM+	**549.25**	672.04

¼₹ yk[k esa½

विवरण		31.03.2013 तक रू.	31.03.2012 तक रू.

ukV l- 23 ¼ [kir dh xbZ dPph lkexh dh dher

प्रारम्भिक स्टॉक		**1622.15**	1061.32
खरीद		**11587.08**	10476.27
	tkM+	**13209.23**	11537.59
घटाइए: बिक्री / समायोजन		**99.18**	68.98
घटाइए: अन्य विभागों में खपत		**78.64**	101.13
		13031.41	11367.48
घटाइए: अन्तिम स्टॉक		**1477.64**	1622.15
	tkM+	**11553.77**	9745.33

ukV l- 24¼ oLrq lfp;ks e cnyko

vkjfEHkd LVkWd		
तैयार उत्पाद	**3509.39**	2953.44
उपोत्पाद	**0.11**	0.06
निमाणाधीन कार्य	**951.42**	981.96
	4460.92	3935.46
घटाइए: स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	**205.05**	139.10
	4255.87	3796.36
vfUre LVkWd		
तैयार उत्पाद	**2257.10**	3509.39
उपोत्पाद	**0.29**	0.11
निमाणाधीन कार्य	**2721.85**	951.42
	4979.24	4460.92
वृद्धि(–) / कमी(+)	**-723.37**	-664.56

ukV l- 25 ¼ deZpkfj;ks dk fgr ykHk

वेतन एवं प्रोत्साहन		**7025.45**	6647.39
भविष्य निधि में अंशदान		**639.53**	578.36
उपदान निधि अंशदान		**647.81**	1592.49
सेवानिवृत्ति योजना अंशदान		**1164.80**	1164.07
कर्मचारी राज्य बीमा को अंशदान		**6.17**	3.20
एचआईएल कर्मचारी कल्याण निधि को अंशदान			**0.20** 0.20
बोनस		**0.10**	0.45
	tkM+	**9484.06**	9986.16

¼₹ yk[k eas½

विवरण	31.03.2013 तक रू.	31.03.2012 तक रू.
ukV l- 26 ¼ foÙk O;oLFkk ykxr		
ब्याज खर्च		
सरकारी ऋण	**215.56**	0.00
अन्य ऋण लागत		
नकद क्रेडिट पर ब्याज	**543.21**	209.26
अन्य ब्याज	**1.91**	0.02
घटाइएः पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य में सम्मिलित धनराशि	**215.56**	0.00
tksM+	**545.12**	209.28
ukV l- 27 ¼ vU; ykxr@O;;		
fofuekZ.ku O;;¼		
पुनः पैकिंग एवं फार्मुलेशन प्रभार	**15.42**	3.19
खपत की गई पैकिंग सामग्री	**724.82**	776.55
भण्डार एवं अतिरिक्त खपत	**56.51**	39.89
आन्तरिक ढुलाई	**28.84**	38.70
ऊर्जाए ईंधन और पानी	**2819.59**	2820.15
अनुसंधान एवं विकास एवं प्रयोगशाला व्यय	**27.70**	16.22
अन्य कार्य / फुटकर कार्य व्यय	**298.60**	357.39
उत्पाद शुल्क	**80.62**	218.27
ejEer ,oa j[kj[kko		
मशीनरी एवं संयंत्र पर	**424.33**	311.58
भवन	**143.85**	131.71
अन्य पर	**30.88**	31.96
fcØh ,oa iz'kklfud O;;		
किराया	**46.65**	39.91
दरें और कर	**68.79**	63.15
बीमा	**25.49**	23.15
सामाजिक दायित्व	**17.90**	13.48
बिजली एवं पानी प्रभार	**24.26**	17.85
विज्ञापन	**61.12**	53.15
प्रचार–प्रसार	**23.34**	29.15
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	**23.15**	20.98
डाक, टेलीफोन एवं ई–मेल व्यय	**29.82**	28.53
;k=k [kpZ		
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**3.48**	3.83
निदेशक	**6.92**	6.91
अन्य	**151.21**	142.54
गाड़ी चलाने पर तथा खर्च पर	**20.59**	16.75
कानूनी तथा पेशेवर प्रभार	**105.21**	48.29
ys[kk ijh{kdksa dk Hkqxrku		
लेखा परीक्षक	**2.25**	1.50
कराधार मामले के लिए	**1.13**	0.75
कंपनी के कानूनी विषय के लिए	**0.43**	0.67
प्रबंधन सेवाओं के लिए	**185.38**	183.52

¼₹ yk[k e½

विवरण	31.03.2013 तक रू.	31.03.2012 तक रू.
vU; lokvksa dh fy, fVIi.kh 27 (Øe---)		
स्टॉक प्रशिक्षण/अन्य व्यय	**15.47**	16.30
भर्ती व्यय	**18.22**	9.55
गेस्ट हाऊस व्यय	**8.28**	8.28
दाखिल शुल्क	**3.22**	0.26
टाउनशिप व्यय	**34.03**	31.36
अभिदान और सदस्यता शुल्क	**5.88**	18.09
समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाएं	**1.13**	1.02
बेंक प्रभार	**30.20**	21.98
विदेशी मुद्रा अन्तर (निवल)	**7.39**	19.56
भाड़ा ढुलाई एवं रख–रखाव व्यय	**460.62**	437.52
विविध व्यय	**87.52**	60.11
मनोरंजन व्यय	**20.83**	17.86
बिक्री पर नकद छूट/कटौती	**133.03**	197.43
कमीशन	**140.23**	85.78
बिक्री पर हानि/बट्टेखाते में डाली गई परिसम्पत्तियॉं	**0.79**	0.44
संदिग्ध ऋण, दावों एवं अन्य के लिए प्रावधान	**27.56**	2.83
कम्प्यूटर व्यय	**8.68**	7.83
विविध राशि बट्टेखाते में डाली गई	**0.01**	0.01
विलम्ब शुल्क (डेमरेज)	**0.13**	16.13
अग्रिम शुल्क समायोजन – जमा	**14.35**	34.81
tksM	**6465.85**	6426.87

vu|lph o"k 2012&13 d s y[k dk vu|lph dk ,d Hkkx gS
y[kkdu uhfr;k ,o y[kkdu lcU/kh fVIif.k;k

d- egRoi.k y[kkdu uhfr;k

1½ y[kkdu dh vo/kkj.kk %

कम्पनी अपने लेखे पूर्वकालिक लागत परम्परा के अन्तर्गत प्रोद्भवन आधार पर तैयार करती है।

2) vpy ifjlEifÙk;k %

सभी अचल परिसम्पत्तियॉ पूर्वकालिक लागत में से मूल्ह्रास हेतु प्रावधान घटाने के बाद दर्शाई गई हैं।

3) fuekZ.kk/khu ifj;kstuk ij 0;; %

क) परियोजनाओं के विनिर्माण में कम्पनी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष व्यय पूँजीकृत कर दिया जाता है ।

ख) परियोजना के लिए आबंटित दीर्घावधि ऋण पर प्रदत्त ब्याज को पूँजीकृत कर दिया जाता है ।

4) eY;gkl %

क) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची गपअ में विहित दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के उपयोग की प्राक्कलित अवधि के आधार पर सरल रेखा पद्धति से किया जाता है ।

ख) पट्टा धारित भूमि की लागत को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है ।

ग) 5,000 रूपए अथवा इससे कम मूल्य वाली प्रत्येक मद के मामले में पूर्ण मूल्यह्रास हेतु प्रावधान अधिप्राप्ति के वर्ष में किया जाता है ।

5) itFkh fuos'k %

''दीर्घावधिक' श्रेणी'' के निवेश लागत पर किए जाते हैं ।

6) eky lph dk eY;kdu %

क) **foØ; LVkd %**

- मालसूची का मूल्यांकन न्यून लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है ।
- कच्चे बीज का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है ।
- परिवर्धनाधीन बीज का मूल्यांकन निवल वसूली मूल्य पर किया जाता है ।
- परिवर्तन लागत मे उत्पादन की इकाई से प्रत्यक्षतः संबंधित लागत, यथा प्रत्यक्ष श्रम तथा कच्ची सामग्री को तैयार माल में परिवर्तित करने मे होने वाले सभी स्थायी एवं परिवर्तनशील उपरिव्यय का क्रमबद्ध आबंटन शामिल है ।
- तैयार माल की लागत में मालसूची के रूप में रखे गए उत्पाद शुल्क योग्य तैयार माल पर प्रदत्त / देय उत्पाद शुल्क शामिल है; जिन मामलों में अंतिम मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता उन मामलों में ऐसी देनदारी पर अनन्तिम / ज्ञात बिक्री मूल्य के आधार पर विचार किया जाता है ।
- प्रमाणित बीज का मूल्यांकन न्यून लागत तथा निवल वसूली योग्य कीमत पर किया जाता है ।

ख) भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जो का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है ।

ग) लागत भारित औसत लागत पर आधारित है ।

7) vuko';d@{kfrxLr miLdj@lkexh

अनावयक / क्षतिग्रस्त उपस्कर / सामग्री पर लाभ / हानि का लेखांकन ऐसे उपस्कर / ऐसी सामग्री के निपटान के वर्ष में किया जाता है ।

8) lokfuofÙk ykHk %

कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित देनदारियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है :

क) मृत्यु / सेवानिवृत्ति पर उपदान ;और

ख) संचित अवकाश

9) vuqnku lgk;rk %

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को संबधित व्यय से काट लिया जाता है ।

10) cht vk£Fkd lgk;rk %

वर्ष के दौरान, भारत सरकार की वार्षिक कार्य योजना के आधार पर लेखाकंन किया

11) vkLFkfxr jktLo O;; %

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर देय अनुग्रह/क्षतिपूर्ति राशि पर होने वाला व्यय (यदि कोई अनुदान सहायता मिल हो तो उसे छोड़कर) भारमुक्ति के वर्ष से पॉच वर्षों की अवधि में समान किस्तों में परिशोधित किया जाता है ।

12) fon'kh eæk yu&nu %

क) विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित लेन–देन का लेखांकन लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है ।

ख) अचल परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति के क्रम में उद्भूत देनदारी की वापसी को छोड़कर अन्य मामलों में विदेशी मुद्रा लेन–देन के कारण उद्भूत विनिमय अंतर को उस वर्ष की आय व व्यय मान लिया जाता है, जिस वर्ष में वे उद्भूत होते हैं ।

13) viR;{k ifjlEifŸk;kWa

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियॉ केवल तभी मान्य हैं यदि यह संभव हो कि उन परिसम्पत्तियों से प्राप्त आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे तथा परिसम्पत्तियों की कीमत की विश्वसनीयता का अनुमान लगाया जा सकता है । अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियॉ लागत पर दर्ज की गई हैं तथा लागत में से संचित परिशोधन तथा संचित हानियॉ यदि कोई हैं तो को घटाने के बाद ली गई हैं।

14) jktLo igpku %

क. एनवीडीसीपी (पूर्ववर्ती एनएएमपी) को की गई आपूर्ति का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा परिकलित व स्वीकृत मूल्यों पर तथा वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा विहित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

ख. एनवीडीसीपी (पूर्ववर्ती एनएएमपी) के लिए उत्पादों के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन उत्पादन की न्यूनतम लागत अथवा स्वीकृत मूल्यों के आधार पर किया जाता है ।

ग. सीएबी द्वारा निर्धारित अंतिम मूल्य तथा स्वीकृत मूल्यों में अंतर का समायोजन उस वर्ष की बिक्री में किया जाता है जिस वर्ष में मूल्यों का निर्धारण किया जाता है ।

घ. उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर हेतु प्रावधान आपूर्ति के वर्ष में अनन्तिम मूल्य (क्रय आदेश के अनुसार) के आधार पर किया जाता है । अनन्तिम मूल्य तथा अंतिम मूल्य में अंतर के कारण उद्भूत उत्पाद शुल्क व बिक्री कर के लिए प्रावधान उस वर्ष में किया जाता है जिस वर्ष में मूल्यों का निर्धारण किया जाता है ।

15) ijkus _.k ds fy, iko/kku%

वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी ने लेखों के ऐसे ऋण, जो तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है तथा संदिग्ध और अवसूलनीय हैं, के लिए प्रावधान किया गया है। मुकदमे बाजी/मध्यस्थता के अधीन तर्क संगत ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा ऐसे ऋणों की एवज में वित्तीय वर्ष के अन्त तक कोई वित्तीय देयता अनुमानित नहीं है ।

[k- ys[kkdu ij fVIif.k;k

1. vkdfLed nk;rk,a rFkk opuc)rk,a ¼ftlds fy, izko/kku ugha fd;k x;k gS½

fooj.k	31 मार्च, 2013 तक (₹)	31 मार्च, 2012 तक (₹)
क) आकस्मिक देयताताएं		
क) कंपनी पर ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	**15,09,18,071**	7,44,28,040
ख) अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन संशोधन बकाया (1.1.2007 / 1.04.2007 से 27.04.2011 तक)	**16,73,31,133**	11,20,00,000
क) वचनबद्धताएं		
क) संविदाओं की अनुमानित राशि, जो पूंजीगत लेखे पर लिखनी हैं तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	**3,41,85,048**	34,59,215
ख) अन्य	**54,65,75,550**	49,09,26,806
जोड़ (क+ख)	**89,90,09,802**	68,08,14,061

2) यदि वित्तीय संस्थानों द्वारा सदर्न पेस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि0 मामले में दी गई काउंटर गारंटी (जिसे आकस्मिक देनदारी के रूप में दर्शाया गया है) की मांग की जाती है तो आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 06 को किए गए अनुमोदन के अनुसार भारत सरकार सहायता प्रदान करेगी।

3) भारत सरकार के अनुमोदन से वेतनमान लागू हो गए हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक1–1–2007 / 1–04–2007 से 27–04–2011 तक का बकाया सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात तभी देय होगा, जब कंपनी सरकार को संतुष्टिकरण के लिए उत्पादकता तथा लाभ प्रदत्त में सुधार के माध्यम से पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करेगी।

4) दिनांक 31–03–2013 तक कंपनी के लेखे में निम्नलिखित राशियों, जिन्हें लाभकर एवं वसूली योग्य माना गया है, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है :–

क) विविध देनदारियॉ
गत तीन वर्षों से अधिक बकाया 1239.53 लाख रूपए।

ख) ऋण एवं अग्रिम
गत तीन वर्षों से 333.92 लाख रूपये अधिक बकाया।

ग) गैर मौजूदा परिसम्पत्तियाँ
गत तीन वर्षों से अधिक बकाया राशि 71.05 लाख रूपए।

5) क) शेष कुछेक विविध देनदार, विविध लेनदार तथा ऋण व अग्रिम की संपुष्टि / मिलान / समायोजन किया जाना है ।

ख) विवधि देनदारों में 12.95 लाख रूपए की राशि शामिल है जो एक देनदार द्वारा देय है और जिसने इस आय की एक याचिका दायर कर दी है कि वह दिवालिया हो गया है । इस याचिका को कंपनी द्वारा चुनौती दी गई है । विविध देनदारों में एक कंपनी भी सम्मिलित है, जो बीआईएफआर के सुपुर्द है, कंपनी से 9.18 लाख रूपये बकाया लेना है ।

ग) 267.33 लाख रूपये मूल्य के भण्डार व पुर्जे तथा 107.50 लाख रूपए मूल्य की कच्ची सामग्री तथा पैकिंग सामग्री तीन वर्षों से अधिक अवधि से असंचालित है । इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें सेवा योग्य / उपयोगी माना गया है ।

घ) विचाराधीन जॉच पड़ताल, प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान 2.71 लाख रूपये के तैयार माल कम पाए गए तथा जॉच लम्बित रहने के कारण 31.3.20113 तक भण्डारगत माल (पैकिंग सामग्री) को लेखे में समायोजित नहीं किया गया है।

6) वर्ष 2012.13 के लेखे में स्वीकृत मूल्य तथा एनवीबीडीसीपी को जिस अनन्तिम मूल्य पर आपूर्ति की गई है उसका अन्तर 4299.64 लाख रूपये है।

7) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :

मुख्य प्रबन्धन कार्मिकः

क) श्री के. हरिकुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ख) श्री आर.आर. शर्मा निदेशक (विपणन)
ग) श्री वी. सेखर, निदेशक (वित्त)

मुख्य प्रबन्धन कार्मिकः

निदेशकों का नाम	लेन–देन की प्रकृति	राशि (₹)
श्री के. हरिकुमार	पारिश्रमिक	28,49,748
श्री आर. आर. शर्मा	पारिश्रमिक	19,39,846
श्री वी. सेखर	पारिश्रमिक	16,03,375

8) विवेच्य वर्ष के लाभ व हानि लेखे में विनिमय अंतर से संबंधित राशि शामिल है जिसमें 15.13 लाख रू0 (डेबिट) आयात तथा 10.83 लाख रूपये (क्रेडिट) निर्यात से संबंधित है।

9) (क) 31.03.2008 तक सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि0 (एसपीसीएल) की इक्विटी पूँजी 496.66 लाख रूपये (प्रत्येक 1000/– रूपये मूल्य के 49,666 शेयर) हैं । एसपीसीएल का मामला बीआईएफआर को सौंप दिया गया था तथा बीआईएफआर ने एसपीसीएल को परिसमाप्त करने का नोटिस जारी कर दिया । माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश ने एसपीसीएल को दिनांक 2 अप्रैल, 2002 से बन्द करने का आदेश जारी कर दिया है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियॉ एवं देनदारियॉ सरकारी परिसमापक को सौंप दी गई हैं । चूँकि निवेश, विवधि देनदारों तथा ऋण व अग्रिम से किसी प्रकार का प्रतिफल/भुगतान प्राप्त होना संदेहास्पद है, अतः वर्ष 2009–10 में एसपीसीएल में निवेश और विविध देनदारों तथा ऋण व अग्रिम से संबद्ध संपूर्ण राशि को अपलिखित किया गया है ।

(ख) चूँकि सहायक कंपनी एसपीसीएल के परिसमापक की प्रक्रिया जारी है तथा इसकी सभी परिसंपत्तियॉ एवं देनदारियॉ सरकारी परिसमापक को सौंप दी गई हैं, अतः इसे प्रचालित किए जाने की संभावना नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इस कंपनी द्वारा अपना कोष अपनी मूल कंपनी अर्थात एचआईएल को वापस करने के मार्ग में बड़ी बाधाऍ हैं । तद्नुसार, लेखांकन मानक दृ 21 के अनुसार एसपीसीएल के लेखे को कंपनी के लेखे के साथ समेकित नहीं किया जा रहा है ।

10) टाउनशिप (पट्टाधारित) में से 2,158 वर्ग गज जमीन दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिगृहीत कर ली गई थी । कंपनी ने इस मामले में 4.32 लाख रूपए का दावा किया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' नहीं मिल पाने के कारण दावे का निपटारा नहीं किया जा सका है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए अन्तरण लेवी (महसूस) शुल्क के रूप में 1.10 लाख रूपये की मांग की है । इस मामले का निपटारा हो जाने के बाद लेखे में समायोजन कर दिया जाएगा ।

11) वित्तीय वर्ष 2009–10 (निर्धारण वर्ष 2010–11) तक के आय कर निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया है। कुछेक निर्धारण के संबंध में कंपनी ने अपील कर दी है। इस अपील के निपटान के कारण देय किसी आकस्मिक देनदारी तथा जुर्माने, यदि कोई हों, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

12) कंपनी आस्थगित कर परिसम्पत्ति का सृजन नहीं कर रही है क्योंकि ऐसी कोई व्यवहार्य निश्चितता नहीं है कि कंपनी इतनी पर्याप्त आय अर्जित कर लेगी जिससे ऐसी परिसम्पत्ति की वसूली कर ली जाए।

13) कंपनी का एक और कारोबार खण्ड अर्थात बीज है। अभी बीज से बिक्री कंपनी की कुल बिक्री का 10: से कम है, एएस–17 के अन्तर्गत खण्ड रिपोर्टिंग लागू नहीं है ।

14) दिनांक 31.3.2013 तक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, जिनका कंपनी पर एक लाख रू0 से अधिक ऐसा ऋण, जो 30 दिनों से अधिक का बकाया है, शून्य हैं ।

15) एएस–28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है, क्योंकि परिसम्पत्तियों के बही मूल्य के अनुसार परिसम्पत्तियों के प्रयोग या निपटान से वसूलनीय राशि अधिक नहीं होती है ।

16) लेखांकन मानक–15(आर) के अनुसार प्रकटीकरण

लेखांकन नीति की श्रृंखला में तथा लेखांकन मानक–15(आर) के अनुसार पोस्ट इम्प्लायमेंट हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति को लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन–पत्र में निम्नानुसार स्वीकृति दी जाती है :–

d½ rqyu&i= dh rkjh[k dks ey chekfdd /kkj.kk ¼Hkkfjr vkSlr ds :i esa vfHkO;ä½

fooj.k	minku		NqV~Vh oru		vk/kk oru ij fpfdRlk vodk'k	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
छूट दर	8.60%	8.10%	8.60%	8.10%	8.60%	8.10%
संपूर्ति स्तर में वृद्धि की दर	7.00%	8.00%	7.00%	8.00%	7.00%	8.00%
सुनियोजित परिसम्पत्तियों पर लाभ की दरः	9.40%	9.40%	—	—	—	—

[k½ vof/k ds nkSjku nkf;Ro ds orZeku ewY; esa cnyko

(₹)

fooj.k	minku	NqV~Vh oru	vk/kk oru ij fpfdRlk vodk'k
शुरूआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	52,72,54,221	21,13,80,421	4,02,53,578
अर्जन समायोजन	--	--	--
ब्याज लागत	4,53,43,863	1,81,78,716	34,61,808
पूर्व सेवा लागत	--	--	--
वर्तमान सेवा लागत	2,11,33,980	2,37,01,394	58,80,586
संक्षिप्त कार्य लागत / क्रेडिट	--	--	--
निपटान लागत / क्रेडिट	--	--	--
लाभ चुकता (??????? द्वारा)	(43,71,815)	(3,11,98,321)	(45,66,888)
लाभ चुकता (?????? से)	(6,24,38,883)	--	--
बीमांकिक (घ्घ्द्ध / दायित्वों पर हानि	2,34,15,385	2,70,60,932	77,51,115
अवधि के अन्त में दायित्व का वर्तमान मूल्य	55,03,36,751	24,91,23,142	5,27,80,199

x½ vof/k d nkjku ;ktukxr ifjlEifŸk;k d mfpr eY; e cnyko

(₹)

fooj.k	minku	NVVh oru	vk/k oru ij fpfdRlk vodk'k
अवधि की शुरूआत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	30,60,96,697	--	--
अर्जन समायोजन	--	--	--
योजनागत परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	2,51,11,876	--	--
अंशदान	13,00,00,000	--	--
लाभ प्रदत्त	(6,24,38,883)	--	--
योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	--	--	--
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों पर उचित मूल्य	39,87,69,690	--	--

?k½ lfu;kftr ifjlEifŸk;k dk mfpr eY;

(₹)

fooj.k	minku	NVVh oru	vk/k oru ij fpfdRlk vodk'k
अवधि के शुरूआत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	30,60,96,697	--	--
अर्जन समायोजन	--	--	--
योजनागत परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	2,51,11,876	--	--
अंशदान	13,00,00,000	--	--
लाभ प्रदत्त	(6,24,38,883)	--	--
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों पर उचित मूल्य	39,87,69,690	--	--
निधिक स्थिति	(15,15,67,061)	(24,91,23,142)	(5,27,80,199)
योजनागत परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ के ऊपर वास्तविक की अधिकता	--	--	--

M½ vof/k d fy, Loh—r chekfdd ykHk@gkfu

(₹)

fooj.k	minku	NVVh oru	vk/k oru ij fpfdRlk vodk'k
अवधि के लिए–आबंध बीमांकिक लाभ/हानि	(2,34,15,385)	(2,70,60,932)	(77,51,115)
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/हानि योजनागत परिसम्पत्तियॉं	--	--	--
अवधि के लिए कुल (प्राप्तियां)/ हानि	2,34,15,385	2,70,60,932	77,51,115
अवधि में स्वीकृत बीमांकिक (प्राप्तियां)/हानि	2,34,15,385	2,70,60,932	77,51,115
अवधि के अन्त में अस्वीकृत बीमांकिक (प्राप्तियां)/हानियॉं	--	--	--

p½ rqyu&i= rFkk ykHk ,oa gkfu fooj.k esa Lohd—r jkf'k

(₹)

fooj.k	minku	NqVVh osru	vk/kk osru ij fpfdRlk vodk'k
अवधि के अन्त में आबन्ध का वर्तमान मूल्य	55,03,36,751	24,91,23,142	5,27,80,199
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	39,87,69,690	--	--
निधिक स्थिति	(15,15,67,061)	(24,91,23,142)	(5,27,80,199)
अस्वीकृत बीमांकिक (लाभ)/हानियॉ	--	--	--
अस्वीकृत पूर्व सेवा लागत (लाभ निहित लाभ)	--	--	--
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवल देयता	15,15,67,061	24,91,23,142	5,27,80,199

N½ vof/k ds fy, ykHk ,oa gkfu ds C;kj esa Loh—r O;;

(₹)

fooj.k	minku	NqVVh osru	vk/kk osru ij fpfdRlk vodk'k
वर्तमान सेवा लागत	2,11,33,980	2,37,01,394	58,80,586
पूर्व सेवा लागत	--	--	--
ब्याज लागत	4,53,43,863	1,81,78,716	34,61,808
सुनियोजित परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	(2,51,11,876)	--	--
कटौती लागत/ क्रेडिट)	--	--	--
निपटान लागत / क्रेडिट)	--	--	--
अवधि में स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	2,34,15,385	2,70,60,932	77,51,115
लाभ एवं हानि के निपटान में स्वीकृत व्यय	6,47,81,352	6,89,41,042	1,70,93,509

t½ orZeku vof/k ds fy, jkf'k

(₹)

fooj.k	minku	NqVVh osru	vk/kk osru ij fpfdRlk vodk'k
आबन्ध का वर्तमान मूल्य	55,03,36,751	24,91,23,142	5,27,80,199
योजनागत परिसम्पत्तियॉ	39,87,69,690	--	--
अतिरिक्त (घाटा)	(15,15,67,061)	(24,91,23,142)	(5,27,80,199)
योजनागत देयताओं पर आनुभाविक समायोजन–(घाटा) / लाभ	(4,04,94,873)	(2,34,63,289)	(76,28,256)
योजनागत परिसम्पत्तियों पर आनुभाविक समायोजन–(घाटा) / लाभ	--	--	--

समृद्धि हेतु सुरक्षा

Ök½ ykHk ,oa gkfu fooj.k esa 0;; dk lek/kku fooj.k (₹)

fooj.k	minku	NqVVh osru	vk/ks osru ij fpfdRlk vodk'k
अवधि के अन्त में आबन्धों का वर्तमान मूल्य	55,03,36,751	24,91,23,142	5,27,80,199
अवधि के आरम्भ में आबन्धों का वर्तमान मूल्य	(52,72,54,221)	(21,13,80,421)	(4,02,53,578)
प्रदत्त लाभः			
(i) उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया	43,71,815	3,11,98,321	45,66,888
(ii) निधि से भुगतान किया गया	6,24,38,883	--	--
योजनागत परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	(2,51,11,876)	--	--
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	6,47,81,352	6,89,41,042	1,70,93,509

´- rqyu&i= esa Lohd`r ns;rkvksa esa mrkj&p<+ko (₹)

fooj.k	minku	NqVVh osru	vk/ks osru ij fpfdRlk vodk'k
प्रारम्भिक निवल देयताएं	22,11,57,524	21,13,80,421	4,02,53,578
उपरोक्तानुसार व्यय	6,47,81,352	6,89,41,042	1,70,93,509
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए लाभ	(43,71,815)	(3,11,98,321)	(45,66,888)
निधि में दिया गया अंशदान	(13,00,00,000)	--	
अंतिम निवल देयताएं	15,15,67,061	24,91,23,142	5,27,80,199

V½ ;ktukxr ifjlEifÙk;ksa dh izeq[k Jsf.k;ka ¼dqy ;ktukxr ifjlEifÙk;ksa dh izfr'krrk½ (₹)

fooj.k	minku	NqVVh osru	vk/ks osru ij fpfdRlk vodk'k
भारत सरकार प्रतिभूति	--	--	--
राज्य सरकार प्रतिभूति	--	--	--
उच्च गुणवत्ता वाले कारपोरेट बॉण्ड	--	--	--
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	--	--	--
संपत्ति	--	--	--
विशेष जमा योजना	--	--	--
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	100%	--	--
बैंक शेष	--	--	--
सावधि जमा	--	--	--
अन्य परिसम्पत्तियाँ	--	--	--

B½ vU; fooj.k

कर्मचारियों की संख्या	1188
सामान्य सेवानिवृत्ति	60 वर्ष
उपदान की राशि की सीमा	रु. 10,00,000/- अधिकतम
छुट्टी वेतन (अर्जित अवकाश) की सीमा	300 दिन अधिकतम
छुट्टी वेतन (आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश) की सीमा	180 दिन

17) वर्ष के दौरान कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम के लिए बीज आर्थिक सहायता के लिए 307.74 लाख अन्य आय में सम्मिलित है ।

18) 142.64 लाख रू0 के परिवर्धानाधीन बीज, जो बीजों के विकास के लिए उपागत खर्च को प्रदर्शित करते हैं, वर्ष के अन्त तक प्रमाणीकरण अनिर्णीत है, जिनका निवल मूल्य 15.51 लाख रू0 उत्पादकों / किसानों से संगठनकर्ताओं को आपूर्ति हेतु वसूलनीय है ।

19) आवश्यकता के अनुसार गत वर्ष के ऑकड़ों को पुनः समूहित / पुनःव्यवस्थित किया गया ।

3- vuqla/kku ,oa fodkl 0;;

	समाप्त वर्ष **31.03.2013** **(₹)**	समाप्त वर्ष 31.03.2012 (₹)
प्रारम्भिक शेष	–	–
विवेच्य वर्ष के दौरान व्यय	–	–
बट्टे खाते में डाली गई / समायोजित की गई राशि	–	–
अन्तिम शेष	शून्य	शून्य

<- vfrfjä lwpuk,a

1. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची टप् के भाग प्प के खण्ड 3, 4, 4सी और 4डी के प्रावधानों के अनुसार सूचनाः–

d- dk;Zdkjh d{k esa v/;{k ,oa izca/k funs'kd rFkk funs'kdksa dks fd;k x;k Hkqxrku A

क्र.सं.	विवरण	2012-13 vè;{k ,oa izca/k funs'kd (₹)	2012-13 funs'kd (₹)	2011-12 vè;{k ,oa izca/k funs'kd (₹)	2011-12 funs'kd (₹)
1.	वेतन एवं भत्ते	**15,90,754**	**24,70,200**	11,09,015	18,40,170
2.	भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान	**1,66,451**	**3,32,620**	1,15,706	2,02,576
3.	अनुपलब्धियॉः				
	~~चिकित्सा~~	**10,116**	**20,232**	10,116	20,232
	कैंटीन	**18,420**	**36,840**	14,460	28,920
4.	प्रावधान / भुगतानः				
	~~उपदान~~	**3,24,939**	**1,75,099**	1,04,043	97,556
	अवकाश नकदीकरण	**5,75,137**	**3,67,883**	1,64,520	8,20,340
	आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश	**1,63,931**	**1,40,347**	85,951	2,18,223
	tksM+	**28,49,748**	**35,43,221**	**16,03,811**	**32,28,017**

fVIi.kh : भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम ब्यूरो के समय–समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(18) / पीसी / 64 दिनांक 20 नवम्बर,1964 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों को स्टॉफ कार का उपयोग करने सहित विहित राशि का भुगतान करने पर निजी उपयोग के लिए प्रतिमाह 1000 मि0मी0 तक की यात्रा करने की अनुमति दी गई है ।

ख : वर्ष 2012–2013 के दौरान क्षमताएं बिक्री और स्टॉक का मात्रात्मक विवरण

(₹ लाख में)

वस्तु	यूनिट	लाइसेंस शुदा निर्धारित	चालू वर्ष				उत्पादन		बिक्री				अन्तिम स्टॉक			
			चालू वर्ष		गत वर्ष		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष		चालू वर्ष		गत वर्ष	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
डीडीटी तकनीकी	मी.ट.	6344	300.305	0.000	204.600	0.00	3872.400	3637.200	0.000	0.00	0.000	0.000	742.685	0.00	300.305	0.000
डीडीटी फार्मूलेशन	मी.ट.	12688	313.000	648.73	307.000	539.00	5869.000	6427.000	6182.000	15454.31	6421.000	15389.450	0.000	0.00	313.000	648.730
डीडीटी 75% डब्ल्यूपी	मी.ट.		0.050	0.00	21.050	39.66	383.121	372.422	381.620	1876.05	393.423	1576.160	1.551	3.71	0.050	0.000
मैंकोजेब	मी.ट.	1000	120.920	169.74	123.145	170.21	705.975	715.775	180.075	244.37	192.000	262.930	144.170	184.38	120.920	169.740
मैंकोजेब तकनीकी	मी.ट.	1800	157.165	289.10	35.610	56.15	428.700	643.800	208.250	346.20	210.500	303.660	160.735	296.01	157.165	289.100
मैलाथियॉन तकनीकी	मी.ट.	3200	8.350	0.00	8.350	0.00	478.000	670.000	478.000	300.68	670.000	394.440	8.350	0.00	8.350	0.000
बुटाक्लोर तकनीकी	मी.ट.	500	3.710	7.00	57.350	107.52	0.000	31.440	0.000	0.00	25.600	45.370	3.710	7.05	3.710	7.000
हिल्टाक्लोर 50% ईसी	कि.ली.	905	28.707	34.69	49.878	71.12	68.820	151.000	96.461	163.00	142.073	184.620	14.252	13.44	28.707	34.693
मोनोक्रोटोफॉस तकनीकी	मी.ट.	300	73.580	236.05	42.610	125.86	251.555	324.000	117.750	371.70	32.250	100.800	7.375	18.05	73.580	236.048
हिल्क्रोन 36% एसएल/सैमोनो	कि.ली.	255	127.279	365.50	110.075	289.41	328.540	450.020	391.403	1143.67	432.730	1274.510	65.048	173.61	127.279	365.499
डाइकोफॉल तकनीकी	मी.ट.	150	39.685	116.80	7.415	26.20	47.300	80.725	40.500	195.04	58.000	272.600	18.165	99.09	39.685	116.797
हिल्फॉल 18.5% ईसी	कि.ली.		34.151	43.09	33.339	40.50	44.370	74.115	36.999	74.20	36.897	67.370	41.572	63.90	34.151	43.090
इण्डोसल्फॉन तकनीकी	मी.ट.	1600	8.485	19.08	29.535	60.44	0.000	159.475	21.300	56.60	123.725	287.900	4.693	9.81	8.485	19.080
इण्डोसल्फॉन फार्मूलेशन	कि.ली.	1910	46.770	80.77	109.909	183.63	1.371	139.988	0.000	-4.91	238.112	314.780	50.567	71.03	46.770	80.770
हिल्बान 20% ईसी	कि.ली.		54.710	96.39	90.250	126.02	532.910	510.605	510.919	931.19	546.057	833.030	76.903	149.23	54.710	96.386
हिल्कोपर	मी.ट.		18.227	67.02	10.046	32.87	16.470	38.470	19.425	68.56	35.160	118.090	15.267	59.34	18.227	67.019
हिल्साइपरिन 10% ईसी	कि.ली.		6.588	7.08	8.226	8.88	34.154	14.510	24.768	48.26	16.138	29.370	15.965	29.41	6.588	7.081
हिल्साइपरिन 25% ईसी	कि.ली.		5.205	14.92	5.380	12.58	23.425	12.640	22.330	67.94	12.755	37.240	6.320	18.68	5.205	14.925
हिल्फेन 20% ईसी	कि.ली.		1.015	0.01	1.015	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	1.015	0.05	1.015	0.008
हिलमाला 50% ईसी	कि.ली.		62.687	90.54	50.807	60.27	161.240	238.630	177.205	286.81	226.854	342.030	46.645	58.26	62.687	90.540
हिल्फेट	मि.ट.		18.226	58.60	20.804	61.27	144.815	66.351	133.798	442.34	68.820	216.810	21.633	79.69	18.226	58.603
हिलक्वीन 25% ईसी	कि.ली.		22.597	12.67	18.198	6.29	11.500	21.920	8.445	19.23	15.921	35.210	24.241	12.90	22.597	12.666
हिल्थेन एम–45	मी.ट.		83.311	119.40	201.006	317.37	46.000	51.690	407.541	604.00	588.732	900.270	86.951	152.83	83.311	119.396
पीपीडीडीटी	मी.ट.		12.160	12.92	13.410	4.13	105.350	135.100	0.000	0.00	0.000	0.000	15.311	9.32	12.160	12.920
हिल्नेट	मी.ट.		2.166	9.75	2.484	11.97	3.000	5.300	3.470	20.18	5.618	26.480	1.702	7.48	2.166	9.754
हिल्जिम	मी.ट.		7.875	24.03	3.748	11.65	28.950	34.990	33.115	92.09	30.856	87.810	3.693	10.89	7.875	24.030
हिलमाइट 50 ईसी	कि.ली.		3.440	0.03	6.182	8.17	0.000	0.000	0.000	0.00	2.749	7.010	3.440	0.03	3.440	0.032
हिल्जाफॉस	कि.ली.		22.639	26.07	14.535	6.81	14.770	21.980	19.326	59.32	14.907	41.200	18.069	10.05	22.639	26.074
हिल्कार्टप 4% जी	कि.ली.		78.161	31.58	39.981	15.83	1151.100	586.220	1117.207	493.46	551.890	221.500	113.124	56.42	78.161	31.583
हिल्मिडा	कि.ली.		13.145	60.87	11.560	50.17	45.905	77.235	54.048	401.42	75.654	436.270	5.036	28.27	13.145	60.869
हिल्फॉस	मि.ट.		5.819	9.94	6.285	11.86	13.900	9.910	10.120	40.82	10.369	37.940	9.589	17.50	5.819	9.937
हिलाफा 10 ईसी	कि.ली.		2.862	0.00	2.862	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	2.862	5.52	2.862	0.001
हिल्प्रिड	कि.ली.		8.605	38.59	6.814	30.39	14.862	28.854	16.568	122.18	27.076	151.583	7.192	45.85	8.605	38.593

ख : वर्ष 2012–2013 के दौरान क्षमताएं बिक्री और स्टॉक का मात्रात्मक विवरण (क्रम..)

(₹ लाख में)

वस्तु	यूनिट	लाइसेंस शुदा निर्धारित	चालू वर्ष				उत्पादन		बिक्री				अन्तिम स्टॉक			
			चालू वर्ष		गत वर्ष		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष		गत वर्ष		चालू वर्ष		गत वर्ष	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मात्रा	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हिलवॉस	कि.ली.		9.298	7.36	15.734	21.76	33.410	18.130	27.560	83.60	24.566	67.010	15.129	27.39	9.298	7.357
हिलहण्टर	कि.ली.		5.118	18.06	13.935	44.080	0.000	69.460	4.000	15.41	76.299	271.300	1.128	2.48	5.118	18.062
हिल्जॉल	कि.ली.		7.223	4.80	11.512	15.890	17.000	20.000	16.398	32.56	24.319	46.820	8.139	12.31	7.223	4.803
ट्रिंसाही	कि.ली.		28.656	55.12	13.397	23.880	22.200	94.310	44.836	89.51	78.920	138.220	5.987	11.98	28.656	55.121
डीडीवीपी	कि.ली.		4.300	5.81	4.300	6.410	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	4.300	6.53	4.300	5.810
हिलाम्बाडा 5 ईसी	कि.ली.		12.544	36.13	3.608	8.340	27.485	43.645	30.699	83.46	34.696	89.130	9.280	26.15	12.544	36.134
हिलाम्बाडा 2.5 ईसी	कि.ली.		9.060	17.44	7.435	14.130	19.600	19.050	18.626	34.73	17.426	31.680	10.124	21.92	9.060	17.442
हिल्फरॉन	कि.ली.		0.157	20.11	0.270	0.030	0.675	0.802	0.835	124.20	0.668	98.990	0.000	0.00	0.157	20.110
हिलमिल	कि.ली.		1.361	4.91	0.449	0.830	0.000	2.322	0.858	5.13	1.410	8.450	0.527	2.25	1.361	4.912
हिलब्लास्ट	कि.ली.		5.013	34.81	3.199	23.23	5.292	14.260	7.191	63.92	12.442	104.940	3.163	22.55	5.013	34.809
हिल्सल्फ	कि.ली.		22.115	18.01	14.480	11.44	68.210	77.120	78.643	59.16	69.795	50.970	12.452	10.60	22.115	18.013
हिलप्रीटी	कि.ली.		4.064	10.74	4.821	13.61	30.000	24.010	26.060	74.48	24.750	64.030	8.013	26.17	4.064	10.736
हिल्पच	मि.ट.		17.759	44.64	5.272	14.05	120.172	75.812	120.587	253.41	72.340	140.740	17.363	47.58	17.759	44.645
हिल्प्रो 35%	कि.ली.		0.530	0.67	2.216	4.29	0.000	0.000	0.040	-0.07	1.686	3.880	0.560	0.75	0.530	0.668
हिल्डॉन प्लस	कि.ली.		8.300	22.93	9.585	27.08	0.000	0.000	0.000	0.000	2.165	3.110	8.456	2.950	8.300	22.934
हिलपेन्डी	कि.ली.		1.881	4.75	3.908	9.75	24.560	20.930	25.750	72.540	23.139	54.050	0.691	2.330	1.881	4.750
हिलपिक	कि.ली.		12.410	69.13	6.400	0.07	20.096	21.632	22.996	295.740	15.678	210.900	3.616	40.030	12.410	69.130
हिलब्लाज	कि.ली.		9.710	73.10	1.830	14.73	0.000	20.570	5.750	42.150	12.700	91.230	3.960	31.240	9.710	73.100
एसीफेट तकनीकी	मि.ट.		26.750	93.49	6.500	0.00	232.275	73.925	134.300	441.020	22.500	69.170	15.345	57.650	26.750	93.490
हिलस्टार	कि.ली.		1.432	10.44	0.000	0.00	7.500	8.826	7.963	61.680	7.394	58.820	0.969	6.800	1.432	10.440
हिलटॉफ	कि.ली.		2.700	5.40	0.000	0.00	24.930	14.000	18.069	46.690	11.300	20.720	9.560	27.540	2.700	5.400
हिलनीम	कि.ली.		1.400	6.45	0.000	0.00	0.820	4.000	1.220	6.710	3.600	19.260	0.180	0.890	1.400	6.450
हिलक्लेम	कि.ली.		0.726	37.83	0.000	0.00	0.000	0.000	0.352	20.340	0.618	36.130	0.374	20.260	0.726	37.830
हिलकापेटेप 50 एसपी	कि.ली.		4.006	18.51	1.002	5.11	0.000	6.948	2.728	15.330	3.944	21.630	1.282	2.640	4.006	18.510
अन्य	मि.ट./कि.ली.		0.000	0.00	1.936	0.00	0.000	2.050					0.000	0.00	0.000	0.000
बीज	मि.ट./कि.ली.		0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	1593.93	0.000	0.000	0.000	277.39	0.000	0.000
उपोत्पाद	कि.ली.		0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	13.98	0.000	24.280	0.000	0.00	0.000	0.000
Total			1888.107	3311.62	1785.25	2744.94	15481.728	16363.167	11288.100	27448.32	11750.220	25721.893	1878.430	2380.18	1888.107	3311.62

x- [kir dh xbZ dPph lkexzh dk lac/k esa ek=kRed fooj.k

(रू0 लाख में)
(ek=k fe-Vu@fDoaVy esa)

क्र.सं.	वस्तु	2012-13 चालू वर्ष ek=k	2012-13 चालू वर्ष मूल्य	2011-12 गत वर्ष ek=k	2011-12 गत वर्ष मूल्य
d	eq[; dPph lkexzh				
	d½ MhMhVh ds fy,				
	i) एमसीबी	**3448.860**	**2191.15**	3183.395	1609.99
	ii) क्लोरल	**1513.963**	**1128.54**	1469.325	1098.95
	iii) ओलियम	**4715.575**	**420.43**	4334.215	405.57
	iv) अन्य	**1181.570**	**217.66**	1252.231	237.62
	ख) अन्य तकनीकी उत्पादों के लिए	**1179.345**	**762.52**	1323.821	777.24
[k	lkYosaV ,oa lQsDV	**1156.335**	**606.52**	3263.074	1343.87
x	eq[; vk;kfrr dPph lkexzh	**143.673**	**209.84**	376.597	493.69
घ	कृषि उत्पादों के लिए तकनीकी एवं अन्य सामग्री खपत	**508.374**	**1432.24**	186.835	1067.88
ड.	अन्य	**4193.985**	**4618.42**	3671.029	2710.52
जोड़		**18041.680**	**11587.32**	19060.522	9745.33

?k- dPph lkexh] l?kVd ,oa vfrfjä dh [kir dk cd&vi rFkk mudh ifr'krrk

क्र.सं.	मदें	आयातित		स्वदेशी		कुल
		रू. लाख में	प्रतिशतता	रू. लाख में	प्रतिशतता	रु. लाख में
1.	कच्ची सामग्री	561.55 (486.08)	4.85 (4.99)	11025.77 (9259.17)	95.15 (95.01)	11587.32 (9745.33)
2.	संघटक भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जे तथा पूँजीगत	22.15 (0)	2.99 (0)	718.05 (844.33)	97.01 (100.00)	740.20 (844.33)

(Figure in bracket relates previous year)

M- lhvkbZ,Q vk/kkj ij ifjdfYir vk;kr dk eY;

(:0 yk[k esa)

क्र.सं.	अन्य मदें	2012-13	2011-12
1	कच्ची सामग्री एवं तैयार माल	**731.18**	545.64
2	संघटक, अतिरिक्त पुर्जे एवं पूँजीगत सामग्री	**22.15**	0.00
	tksM+	**753.33**	545.64

p- fons'kh eqæk dk [kpZ

(रू0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	2012-13	2011-12
1	यात्रा	**5.25**	3.01

N- fons'kh eqæk ls vk;

(रू0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	2012-13	2011-12
1	निर्यात (एफ ओ बी के आधार पर परिकलित)	**1628.65**	2118.23

ण

भारत स
अनुसार
अनुरक्षण

क्र.सं.

Hkkjr ljdkj ds foÙk ea=ky; ds fnukad fnukad 18-09-1967 ds dk;kZy; Kkiu la[;k 8¼1½ ,Q&67 ds vuqlkj Vkmuf'ki ds vuqj{k.k ij [kpZ ¼tSlkfd izca/ku }kjk izLrqr fd;k x;k rFkk ijh{kdksa }kjk lR;kfir ugha fd;k x;k gSA

Ø-la-	O;; en	2012-13 (₹)	2011-12 (₹)
1	कर्मचारियों के वेतनए मजदूरी एवं अन्य हितलाभ	**398338**	329442
2	पट्टा किराया	**-279623**	98820
3	सम्पदा कर	**538584**	538134
4	बिजली पर व्यय	**989895**	899015
5	पानी प्रभार	**495347**	389028
6	भवन की मरम्मत एवं रख–रखाव	**1412556**	1701822
7	अतिथि गृह पर खर्च	**827531**	828394
8	स्थिर परिसम्पत्तियों पर व्यय मूल्यह्रास	**165346**	168942
	tksM+	**4547974**	4953597

Hkkjr ljdkj ds foÙk ea=ky; ds fnukad 05-03-1969 ds dk;kZy; Kkiu la[;k ch ih bZ ¼17½@¼,Mohð½,Q½@69 ds vuqlkj lkekftd dk;ksZa ij [kpZ ¼izca/ku }kjk izLrqr ijUrq ys[kk ijh{kdksa }kjk lR;kfir ugha fd;k x;k gSA

Ø-la-	O;; en	2012-13 (₹)	2011-12 (₹)
1	चिकित्सा सुविधाएं	**45439304**	1174120
2	आर्थिक सहायता प्राप्त परिवहन एवं कैंटीन	**14226710**	47401964
3	सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	**2466032**	13080606
4	स्कूल सुविधाओं का अनुरक्षण	**888300**	579236
	tksM+	**63020346**	62235927

Hkkjr ljdkj ds foÙk ea=ky; ds dk;kZy; Kkiu la[;k ch ih bZ@th,y&642@79 ch ih bZ ¼vkbZ ,.M vkj½ ¼12½1½78½ fnukad 18-12-1978 ds vuqlkj izpkj ij [kpZ ¼izca/ku }kjk izLrqr fd;k x;k ijUrq ys[kk ijh{kdksa }kjk lR;kfir ugha fd;k x;kA

Ø-la-	O;; en	2012-13 (₹)	2011-12 (₹)
1	बिक्री वर्धन व्यय (प्रचार पर खर्च)	**2334496**	2914620

bl frfFk dks gekjh fjiksVkZuqlkj
,l,l,vkj ,lksfl,V~l lunh ys[kkiky
,Qvkj,u ¼ **004739N**

(आर. धीमान)
सहायक कंपनी सचिव

(जी. नाथ)
महाप्रबन्धक (वि.एवं ले.)

(वी. सेखर)
निदेशक (वित्त)

(के. हरिकुमार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(संदीप गर्ग)
साझीदार
सदस्यता संखा 089852

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 19.08.2013

दिनाक : 26.08.13

31-03-2013 dks lekIr o"kZ ds fy, udn izokg fooj.k
y[kkdu ekud&3 ds vuqlkj&la'kksf/kr½

(राशि रू. में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2013 तक	31.03.2012 तक
1	iapkyu xfrfof/k;ksa ls udn izokg		
	परिचालनों से निधि संचालन		
	क. कर से पूर्व लाभ	**30,513,720**	28,139,427
	ख. जोडिएः		
	- परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	**78,756**	43,981
	- संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**–**	283,161
	- विविध राशि बट्टे खाते में डाली गई	**1,309**	1,044
	- मूल्यह्रास	**36,701,846**	40,946,109
	- उपदान के लिए प्रावधान	**64,781,352**	159,249,325
	- आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश के लिए रखे गए प्रावधान	**17,093,509**	11,265,930
	- विदेशी मुद्रा घटने बढ़ने पर अवास्तविक (वृद्धि)/–हानि)	**(685,313)**	658,452
	- अवकाश वेतन के लिए रखे गए प्रावधान	**68,941,042**	65,615,715
	- पूर्वावधि समायोजन	**(625,206)**	124,594
	- आस्थागित राजस्व व्यय बट्टे खाते में डाले गए	**1,312,353**	1,295,278
	- ब्याज व्यय	**54,511,779**	20,927,411
		242,111,427	300,411,000
	ग. घटाइएः		
	- वर्ष के दौरान कर प्रदत्त	**13,534,943**	19,102,518
	- विविध आय में समायोजन	**(1,511,521)**	7,611,651
	- दावे प्रतिलेखित किए गए	**–**	125,805
	- वर्ष के दौरान प्रदत्त उपदान (एचआईएल)	**4,371,815**	7,891,788
	- उपदान निधि में निवेश की गई राशि	**130,000,000**	190,000,000
	- वर्ष के दौरान आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश भुगतान किया गया	**4,566,888**	4,469,861
	- वर्ष के दौरान छुट्टी वेतन का भुगतान	**31,198,321**	25,653,322
	- ब्याज भुगतान		
	- बैंक	**294,751**	236,102
	- स्टॉफ	**671,871**	13,063,269
	- बोनस भुगतान	**34,532**	–
	- कर	**–**	9,491,181
	- विविध राशि समायोजित	**37,037**	50,527
		183,198,637	277,696,024
		89,426,510	50,854,403
	dk;Z'khy iwath cnyko		
	d- pkyw ifjlEifÙk;ksa esa ¼of)½@¼deh½		
	- वस्तुसूची में वृद्धि	**(61,278,180)**	(106,138,009)
	- प्राप्य व्यापार में वृद्धि	**(227,663,670)**	46,459,226
	- अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम में कमी	**30,127,215**	16,580,729
	- अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि	**(37,360,339)**	(28,486,958)
		(296,174,974)	(71,585,012)
	[k- orZeku nkf;Rokas esa of)@¼deh½		
	- अन्य वर्तमान देयताओं में कमी	**71,787,700**	(106,724,954)
	- देय व्यापार में वृद्धि	**39,469,591**	17,673,917
	- अल्पावधि ऋणों में वृद्धि	**219,379,680**	57,114,948

		330,636,971	(31,936,089)
	कार्यगत पूँजी में बदलाव	**34,461,997**	(103,521,101)
	परिचालन गतिविधियों से नकदी	**123,888,507**	(52,666,698)
2	fuos'ku xfrfof/k;ksa ls udnh izokg		
	स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री	**389,635**	435,290
	- स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद	**(15,018,640)**	(30,418,097)
	- पूँजीगत प्रगतिशील कार्यो में निवेश की गई राशि	**(87,980,800)**	(46,928,402)
	- बैंक	**294,751**	236,102
	- स्टाफ	**671,871**	13,063,269
	- गैर वर्तमान निवेशों में निवेश की गई राशि	-	(2,000)
	- दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में कमी	**(1,627,669)**	112,478,620
	- पूँजीगत प्रगतिशील कार्यों में निवेश	**(26,428,293)**	5,247,251
		(129,699,145)	54,112,033
3	foÙkh; xfrfof/k;ksa ls udnh izokg		
	दीर्घावधि ऋणों में वृद्धि	**68,183,956**	-
	अन्य दीर्घावधि देयताओं में कमी	**3,344,217**	-
	प्रदत्त ब्याज		
	- पूर्वावधि	-	(100,947)
	- वर्तमान अवधि	**(54,511,779)**	(20,927,411)
		17,016,394	(21,028,358)
	नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**11,205,756**	(19,583,023)
	प्रारम्भिक नकद एवं नकद समतुल्य	**34,821,429**	54,404,452
	समाप्ति नकद एवं नकद समतुल्य	**46,027,185**	34,821,429

नकद– प्रवाह विवरण की टिप्पणियाँ
- नकद एवं नकद समतुल्य सम्मिलित हैं:

	As on 31.03.2013	As on 31.03.2012
बैंक शेष	**45,189,492**	33,804,455
पास में चैक	**100,000**	272,713
पास में नकद	**583,995**	319,865
अन्य	**153,698**	424,396
tksM+	**46,027,185**	34,821,429

bl frfFk dks gekjh fjiksVZ ds lkFk
,l ,l ,vkj ,lksfl,V~l lunh ys[kkiky
,Qvkj,u % **004739N**

(आर. धीमान)	(जी. नाथ)	(वी. सेखर)	(के. हरिकुमार)	(संदीप गर्ग)
सहायक कंपनी सचिव	महाप्रबन्धक (वि.एवं ले.)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	साझीदार
				सदस्यता संखा 089852

स्थान : नई दिल्ली
दिनाक : 19.08.2013

दिनाक : 26.08.13

lgk;d dEiuh dk C;kjk

dEiuh vf/kfu;e 1956 dh /kkjk 212 d vuqlkj lgk;d dEiuh fn lnu iifLVlkbMl dkjikjs'ku fyfeVM, gnjkckn dk C;kjkA

(रू. हजार में)

Ø-l-	en	31.3.2013 तक	31.3.2012 तक
1.	सहायक कम्पनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख	**31.3.2013**	31.3.2012
2.	उपरोक्त तिथि पर एच आई एल द्वारा नियंत्रित किए गए सहायक कम्पनी के शेयर		
	(i) संख्या	iR;sd **1000/- #-** ij **49,666**	प्रत्येक 1000/-रु. पर 49,666
	(ii) नियंत्रण की सीमा	**76%**	76%
3.	वित्तीय वर्ष में जहॉ तक एच आई एल का संबंध रहा के लिए सहायक कम्नी के लाभ की कुल निवल राशि		
	(i) वर्ष के लिए एच आई एल के लेखे में रखी गयी राशि	'kwU;	शून्य
	(ii) वर्ष के लिए एच आई एल के लेखे में नहीं रखा गया हिसाब	**(-)11,34,92**	(-)11,34,92
4.	वर्ष के अन्त तक संचित जहॉ तक एच आई एल का सहायक कम्पनी से संबंध है लाभ (+)/ हानि(–) की कुल निवल राशि		
	(i) वर्ष के लिए एच आईएल के लेखे में रखा गया हिसाब	'kwU;	शून्य
	(ii) वर्ष के लिए एच आईएल के लेखे में नहीं रखा गया हिसाब	**(-) 32,45,02**	(-)32,45,02

टिप्पणी: उपरोक्त सूचना वर्ष 2001–2002 के लिए (गत लेखा परीक्षित लेखा) सहायक कम्पनी के वार्षिक लेखे पर आधारित है। चूँकि सहायक कम्पनी अभी परिसमापक के अधीन हैए इसलिए 2011–2012 का लेखा उपलब्ध नहीं है।

fVIi.kh